आपको इत्तला दे दूंगा क्या वजह है कि उनको नहीं छोड़ा गया । क्योंकि कोई कारण होगा । जयवर्धने साहब ने कहा है कि एमनेस्टी कर देंगे बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया है कुछ को नहीं छोड़ा है । हमारी उम्मीद है कि जितने लोग रिहा नहीं हुए उनको भी रिहा किया जाएगा ।

Finally, I would like to say, Madam that the Government is fully conscious of its responsibilities. We are monitoring the situation day to day, and it is our endeavour to see that peace returns to Sri Lanka. We want that the ethnic situation does not deteriorate, that all in Sri Lanka, the people belonging to all religions live happily, peacefully and quietly and the need for having a Peace Keeping Force does not arise once this tragic situation is out of the way. But so long as the Sri Lankan Government wants the IPKF, under the Agreement, to be there, it will remain there. Unless peace and tranquility reign, the elections are put in jeopardy. If the elections are put in jeopardy. If things don't take place. So the total picture is that a great deal depends on the attitude of the LTTE. Thank you Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned for lunch till 3.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-six minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at one minute past three of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.

RESOLUTION RE. WOMEN'S RIGHTS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shrimati Veena Verma to move her Resolution.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करती हूं ।

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि समाज में महिलाओं के दर्जे में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और पुरुष के मुकाबले में उसके अधिकारों को पुरुष और महिला के बीच समानता के सिद्धांत के अनुरूप मान्यता दे दी गई है तथापि वह अपने अधिकारपूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं कर पायी है और विभिन्न रूपों में उसका शोषण अभी तक जारी है यह सभा सरकार से महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह करती है —

(i) किसी महिला को विवाह के बाद अपने पति की चल तथा अचल संपत्ति में समान अधिकार मिलने चाहिएं ;

(ii) सम्पत्ति का अधिकार, जिसे हमारे कानन किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात देने का दावा करते हैं उसे उसके विवाह के तुरन्त पश्चात दे दिया जाना चाहिए ;

(iii) वे अधिकार, जो किसी महिला को उसके विवाह-विच्छेद के पश्चात प्राप्त होते हैं, उसे विवाह के पश्चात ही उपलब्ध हो जाने चाहिए ताकि वित्तीय आधारों पर विवाह-विच्छेद के मामलों से बचा जा सके ;

(iv) कानूनी अधिकार के रूप में पत्नी का अपने पति के साथ संयुक्त भविष्य निधि खाता होना चाहिए ;

(v) इच्छानुसार सम्पत्ति का निपटान करने का अधिकार पत्नी को भी दिया जाना चाहिए ;

(vi) न्यायालयों को, उसके समक्ष पेश किए गए पति और पत्नी के बीच के सामाजिक-आर्थिक

[श्रीमती वीणा वर्मा]

तथा विवाह-विच्छेद संबंधी सभी मामलों में शीघ्र न्याय प्रदान करना चाहिए ;

(vii) मां को अपने बच्चों की अभिरक्षा का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए ;

(viii) काम के समय में पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पत्नी को, उसके अन्यथा उपयुक्त होने की स्थिति में, उसके पति के कार्य के बदले में रोजगार दिया जाना चाहिए ; और

(ix) विधवा को पेंशन दिए जाने के लिए सांविधिक उपबन्ध किया जाना चाहिए ।"

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम में आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आज आपने मुझे इस सदन में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में "विवाहिता स्त्री" (अधिकारों का संरक्षण) जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी अपने अस्तित्व को स्वयं पहचानने और पुरूष को भी अपने अस्तित्व का एहसास कराने में सफल हुई है । परन्तु इसे विडम्बना ही मानना चाहिए कि स्त्री का अस्तित्व अभी भी सम्मानपूर्ण व सुरक्षित नहीं है । क्योंकि हमारा तथा-कथित सभ्य समाज अभी भी स्त्री के मामले में सामंती और क्रूर है । हाल के वर्षों में स्त्री जाति पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, हत्या इस तथ्य के गवाह हैं कि उसको कानून द्वारा कोई आर्थिक, सामाजिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं । उसे केवल भोग की वस्तु तक सीमित मान लिया गया है ।

यद्यपि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो उसमें भारतीय स्त्री को बहुत महानता का दर्जा देते हैं । उसे पृथ्वी की तरह पुरुष को धारण करने वाली और समुद्र की तरह जीवन के दुखों को अपने भीतर समेटने वाली कहा गया है । कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं । कहने का मतलब हमारे भारतीय मनीषा में नारी को बहुत महान और विराट सिद्ध किया गया है । वैदिक काल में यह स्थिति कुछ हद तक ठीक थी । पर मध्ययुग के भारतीय समाज ने स्त्री को उपभोग की वस्तु बना लिया । इस तरह स्त्री होने का अर्थ ही हो गया जिसके पास कोई अस्त्र न हो, कोई पुरुषार्थ न हो । वह निहत्थी और अकेली शताब्दियों से चुपचाप सोई पड़ी है । जिस पर कोई भी, कभी भी वार कर देता है । स्त्री के साथ बलात्कार होता है, स्त्री पति के हाथों पिटती है, खुद अपने मां-बाप के जीवन में उपेक्षा की पात्र होती है । जब वह विवाहिता होती है उसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं । अगर उसका पति मर जाए तो "विधवा" ही नहीं "कुल्टा" और समाज की सबसे ज्यादा उपेक्षित प्राणी हो जाती है ।

आधुनिक समाज में वैसे तो स्त्री आज से अधिक समर्थ है, स्त्री और पुरुष के बीच विषमताएं पहले की तुलना में बहुत कम हैं । परन्तु कानूनी तौर पर औरत को, पुरुष जैसा अधिकार हासिल नहीं है । भारतीय नारी की यह वस्तुस्थिति बीसवीं शताब्दी के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय है । कहने को तो यह शताब्दी ज्ञान, उत्थान, समता और मनुष्यता की पहचान की शताब्दी रही है । लेकिन पर्त हटाने पर पता चलता है कि यह उसी अनुपात में, पतन, विषमता और बर्बरता की शताब्दी भी रही है । स्त्रियों पर खासतौर से सामूहिक और वैयक्तिक हिंसा, अत्याचार, हत्या ने उतने बड़े पैमाने पर तांडव नहीं किया, जितना इन सत्यासी वर्षों में ।

महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान दर्जा देने के लिए अभी तक किये गये एक भी राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रयास प्रभावी और उल्लेखनीय साबित नहीं हुए इसकी वजह इस प्रयास में गंभीरता का अभाव रहा है । औरतों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के

लिए चलाये गये "वोमन लिब" आदि सभी आंदोलनों का मक्सद कुल मिलाकर प्रचार बाजी ही रहा। दरअसल औरतों के प्रति पुरुषों का नजरिया चाहे वह पश्चिमी देश ही क्यों न हों, प्रकारांतर से वही है जो सदियों पहले था। औरत यानी पुरुष की भोग्या, सहायिका, आश्रिता और कृपापात्र।

रूस और चीन जैसे तथा-कथित जनवादी, प्रगतिशील और समाजवादी देश भी औरतों को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने में बुरी तरह नाकामयाब रहे हैं। वहां भी स्त्रियां पुरुषों की सहायक और दूसरे दर्जे की नागरिक जैसी हैं। भले ही प्रचारतंत्र से आंकड़ों की बाजीगरी करके औरतों की सुखद स्थिति का ढोल पीटा गया हो। मुस्लिम राष्ट्रों और सामाजिक रूप से पिछड़े भारत जैसे देशों में स्त्रियों की दशा तो सचमुच दयनीय है। इस्लाम ने औरतों को बड़ी अहमियत दी है। अरब देशों में कुवैत सबसे ज्यादा तरक्की वाला देश माना जाता है। वहां पश्चिमी देशों की तरह संसद है, जिनमें चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाकर काम काज करते हैं लेकिन मजे की बात यह है कि वहां भी औरतों को वोट देने का हक नहीं है। औरतों की सामाजिक स्थिति का जायजा कुवैत से निकलने वाले अखबार "अलक्यास" में आये दिन छपने वाले इश्तहारों से लगाया जा सकता है। एक उदाहरण देखिए– "क्या आप अपनी पुरानी नौकरानी से उब चुके हैं। उसका चेहरा और काम पसंद नहीं तो आज ही नई नौकरानी हम से लीजिए"। "हम से मन पसंद नौकरानी खरीद कर घरों की खुशियां लौटा लाइये"।

"इस पूरी दुनियां में औरतों की हालत कमोबेश एक जैसी है। माने दोयम दर्जे की। सब जगह पुरुष औरत का दूसरे नंबर पर देखना चाहता है। उसे औरत का आगे बढ़ना कतई मंजूर नहीं"। ये शब्द हैं—पश्चिम जर्मनी की पत्रिका "डेर स्पीगेल" की युवा पत्रकार क्रिसेल बेकर के। क्रिसेल बेकर इन दिनों अपनी पत्रिका के लिए हिंदुस्तानी औरतों पर एक रिपोर्ट तैयार करने आई है। सती की घटना पर वे कहती हैं कि "भरोसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के लोग इतने त्रिमचल हो सकते हैं। ऐसा कैसा धर्म है जो औरत को जलाने को कहता है।" सती मंदिरों पर जाने के बाद भी वह यकीन नहीं करती कि हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान समाज का इतना ज्यादा दबाव है कि हत्या को भी पूजा जाता है।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय समाज की बुनियाद धर्म और जाति पर आधारित रही है। इसी से समाज में असमानता का आधार भी बना है। कहने को तो स्त्री को सम्मान दिया गया लेकिन जीवन-यापन, सामाजिक, आर्थिक अधिकार जैसी बातों में उसका ध्यान नहीं रखा गया। उसे सिर्फ दूसरे का आश्रित बनाया गया, पहले पति का, फिर बेटे का। मानों खुद उसका कोई वजूद ही नहीं हो।

छठे जे.पी. नायक मामोरियल के लेक्चर के अवसर पर मशहूर जज प्रो. चिन्नपा रेड्डी के विचार इस प्रकार हैं–– "कानून द्वारा स्त्री पुरूष में बराबरी का अधिकार केवल कागज पर हैं। स्त्री क समान अधिकार देने के वातावरण या प्रयास भी हमारे देश में नहीं किया गया है।" स्वतंत्रता के 40 वर्ष बीत जाने पर भी देश में कुछ ही महिला सिविल सर्वेंटस हैं, कुछ महिला प्रोफैशनल्स और कुछ ही महिलायें पोलिटिशियन।

उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा और उनको शोषण से बचाने के संबंध में भी कुछ प्रशंसनीय फैसले दिये है। इस फैसले के अनुसार पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने या दूसरी औरतों को रखैल बना लेने की स्थिति में पत्नी अलग मकान तथा भरण पोषण का खर्च पाने की हकदार हो गई है। पति द्वारा लाई गई औरत, विवाहित हो या रखैल, इससे पहली पत्नी के हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 23 अप्रैल, 1987 को दिये गये अपने फैसले

[श्रीमती वीणा वर्मा]

में न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर और न्यायमूर्ति बी. सी. राय ने घोषणा की कि हिंदु विधवा, हिंदु उत्तराधिकार कानून 1954 के अंतर्गत स्त्री संपत्ति की पूर्णमालिक है। कुछ उच्च न्यायालयों ने हिन्दु उत्तराधिकार कानून की धारा (4) (1) की ऐसी व्याख्या की थी, जिसके अनुसार हिंदु विधवा को संपत्ति का सीमित स्वामी माना गया था । सर्वोच्च अदालत का वो फैसला भी कम क्रांतिकारी नहीं है, जिसने इस परंपरागत मान्यता को धज्जियां उड़ा दी हैं कि विवाह के बाद लड़की का अपने मां बाप से केवल लेने का रिश्ता रह जाता है । वह पूरी तरह पति और ससुराल की संपत्ति बन जाती है ।

जाहिर है ऐसे कानून नारी को शोषण से बचाने में सहायक हैं जो भारतीय नारी में आत्मविश्वास तथा आत्मगरिमा का संचार करने वाली है । सच तो यह है कि इस निर्णय ने स्त्री पुरूष में भेद करने की बुनियाद को ही हिला दिया है ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 केवल पुरूषों पर ही नहीं स्त्रियों पर भी लागू होती है । इसके अनुसार यदि विवाहिता लड़की संपन्न है और उसके मां बाप का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं, तो वे अपनी बेटी से भरण पोषण के खर्च का दावा कर सकते हैं। इससे जहां लड़कियों में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होगा वहीं पुरुषों का यह भ्रम टूटेगा कि परिवार चलाने में मुख्य भूमिका उन्हीं की होती है ।

निश्चय ही उच्चतम न्यायालय के यह फैसले समाज के चिंतन में अमूल परिवर्तन लाने वाले हैं यह भी सच है कि अदालत की ये व्याख्यायें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों का दर्पण हैं, जिसे देखकर हमें अपने को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए । किंतु क्या सदियों से हमारे संस्कार धर्मग्रंथों के तर्कहीन आदेश पुरूष प्रधान समाज के नारी शोषक रीतिरिवाज, स्त्री को पांव की जूती मानने की पुरूष की दम्भपूर्ण वृत्ति और कानूनों को लागू कराने वालों का भ्रष्ट और ढीला आचरण हमें स्त्री पुरूष की समानता के आदर्श को प्राप्त करने देंगे ।

हिंदु कानून में व्यवस्था थी कि विधवा का पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र होने की स्थिति में न तो विधवा, और न ही उसका बेटी जायदाद की अधिकारी थी । पूरी जायदाद के पूरा मालिक बन सकने का हक आदमी ने शुरू से ही अपने लिए सुरक्षित रखा । बेटा जन्म से ही पिता की पैतृक संपत्ति का मालिक रहा है । सच तो यह है कि पुत्र गर्भ में आते ही पिता की संपत्ति का मालिक समझा जाता रहा, पुत्री के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही, बल्कि लड़कियों का गला जन्म के तत्काल बाद घोटा जाता रहा । आजकल विज्ञान के आविष्कार ने शिशु के जन्म से पहले उसके लिंग का पता लगाने का जो रिवाज़ शुरू हो रहा है, यह भी लड़की को जन्म से पहले ही मुक्ति दे देने की घिनौनी चाल है ।

बालिका शिशु की हत्या पर रोक 1870 में लगाई गई । यह श्रेय ब्रिटिश सरकार को प्राप्त है । प्रतिलोमा विवाह प्रथा तो 1956 तक जारी रही । इसके तहत "छोटी" जाति का कोई भी युवक "बड़ी" जाति की तर्कसी युवती से शादी नहीं कर सकता था । लुक छिपकर शादी कर लेने पर समाज उसे मान्यता नहीं देता था । हालांकि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए 1946 में एक कानून बना था । 1937 में महिला संपत्ति अधिकार कानून बना । इस कानून के द्वारा देश में पहली बार विधवा को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपने मृत पति की संपत्ति में से अपने पुत्र के बराबर हिस्सा ले सके । परन्तु इस कानून ने भी विधवा की पुत्री का जायदाद के अधिकार से वंचित रखा । इससे हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 से पुत्री को आंशिक रूप से ही राहत मिली ।

स्वतंत्रता संविधान प्राप्ति के तत्काल बाद की तरफ ध्यान दिया गया और संविधान पास होते ही सरकार ने सबसे

पहले हिन्दु कानून की तरफ ध्यान दिया। यह कानून तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, खर्चा, संरक्षण आदि से संबंधित धारायें स्त्री और पुरुष का समान अधिकार दिलाने की दिशा में निसदेह महत्वपूर्ण कदम था। परंतु कुछ कमियां रह जाना भी स्वाभाविक था, जिन्हें समय-समय पर दूर किया जाता रहा है। शादी के समय दुल्हन को दिये गये उपहारों को उच्चतम न्यायालय ने दुल्हन की अपनी संपत्ति 1985 में करार देकर महत्वपूर्ण फैसला दिया इसे "स्त्रीधन" माना गया। इस तरह महिलाओं से संबंधित लगातार तीन बिल संसद में पास हुए और सेना में पहली बार महिला बटालियन बनी। परंतु सवाल यह है कि आम भारतीय औरत पर इसका क्या असर हुआ है ?

हालत यह है कि हिंदुस्तानी औरत की बात करते हुए किसी के जेहन में जो तस्वीर उभरती है, वह अनपढ़, गवार, फोटो खींचने की मशीन को अचरज से देखने वाली मैली-कुचैली महिला की उभरती है। एक शोधकर्त्ता के अनुसार हिंदुस्तानी औरत की यह छवि दशकों पुरानी है और यह तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक कि औरत के व्यक्तित्व की पहचान उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं परखी जायेगी।

भारत, संसार के नक्शे में, दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां महिलायें कुल आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं। श्रम में भागीदारी का ग्राफ भी हिंदुस्तान की औरतों का दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। अगर लड़कियों की शिक्षा 3 प्रतिशत बढ़ी हैं या औरतें रोजगार की तरफ बढ़ रही हैं तो इसे बदलाव तो कहा जा सकता है, पर प्रगति नहीं क्योंकि दूसरी तरफ शिक्षा संस्थानों और रोजगार की जगहों पर औरतों के शोषण की घटनायें बढ़ी हैं। शैक्षिक और आर्थिक आत्मनिर्भता के बावजूद औरतों के साथ अन्याय की घटनायें लगातार बढ़ी हैं।

नारी को आर्थिक मोर्चे पर स्वतंत्रता का कुछ अंश मिला है, जिसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता। मुक्ति का अर्थ वैचारिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, मानसिक भावनात्मक स्वतंत्रता का अधिकार ही मुक्ति होता है। हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज में किसी नारी को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह अपनी इच्छानुसार कदम उठा सके। जबकि पुरुष इन सब बातों के लिए किसी बंधन में बंधा नहीं होता। आम भारतीय परिवार का परिवेश ऐसा होता है जहां बचपन से लेकर युवावस्था तक नारी को आदेशों, चेतावनियों, व्यंग्यों और संदेहों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पराश्रयता, नारी की स्वभावगत विशषता बन जाती है और सहज होकर सब कुछ स्वीकारते जाना नियति रूप धारण कर लेती है। यह बात नहीं है कि इन सबके विरुद्ध उसका समूचा व्यक्तित्व-अस्तित्व अंदर ही अंदर ज्वाला-मुखी सा उबलता रहता है। व्यक्तित्व को कुचल जाने की कुंठा और यंत्रणा को नारी से अधिक शायद ही कोई सहन कर सकता है। इन कुंठाओं से उबरने का प्रयास यदि कोई नारी करती भी है तो उसे "विद्रोहिणी" करार देकर दंड का भागी बनाया जाता है। इसी कारण नारी की स्थिति आज भी वही है, जो शताब्दियों पूर्व थी।

भारतीय नारी के भाग्य की विडंबना भी विचित्र है जो अपने निर्मल सतीत्व की अग्नि परीक्षा देकर भी युग पुरुष राम की दृष्टि में संदिग्ध रही। अग्नि परीक्षा की जिस परंपरा का नेतृत्व —"मर्यादा पुरुषोत्तम राम" ने सभाला था वह परंपरा अपने विकृत अर्थों के साथ आज भी उपस्थित है। विवश नारी को प्रतिवाद तक का अधिकार पुरुष प्रधान समाज ने नहीं दिया। युगों तक पद दलिता, शोषिता और उत्पीड़िता नारी, आज अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए बेचैन हो रही है। मनु की व्यवस्था से सचालित इस समाज में उसकी मांसलता को ही महत्व मिला है, उसके अंतर में निहित कोमल भागों को नहीं। नारी के विकास की समस्त संभावनाओं को दैहिक आकर्षण की सीमा बना दिया गया है।

[श्रीमती वीणा वर्मा]

समाज में नारी के रूपों पर जरा गौर कीजिए—बाप के घर उधार की जिंदगी जीने वाली बेटी, कन्यादान में दी जाने वाली वस्तु, दहेज द्वारा बिकने वाली वस्तु, पति की दया पर पलने वाली पत्नी, सास ससुर की बहु। सामाजिक औरत की तस्वीर कुलच्छिनी कुलटा, वेश्या, नौकरानी, देवदासी व विधवा से अधिक कभी नहीं मानी गई।

गौर किया जाये तो भारतीय नारी की दुखांत कहानी सिर्फ विधवा ही नहीं बल्कि तलाक शुदा औरतें, शराबी पति के हाथों पिटी औरतें, लंबे संयुक्त परिवार के भीतर नौकरानी बनी औरतें जो सबको खिलाती हैं किंतु खुद भूखे पेट सोती हैं ऐसी तमाम दुखों से भरे चेहरे और चरित्र हैं जिन्हें देख सुनकर मन भर आता है। अपने पुरुष प्रधान समाज से पूछने को मन करता है—भारत में स्त्री क्यों पैदा होती है?

बहुत कम लोग जानते हैं कि औसतन 4 महिला रोज सती होती हैं वर्ष 1986 के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 1200 स्त्रियों दहेज न देने के कारण जलाई जाती हैं। दहेज के कारण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश 1200 महिलाओं की हत्या होती है। दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश जहां, 112, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 107 मौतें रिकार्ड हैं। इस देश में औसतन 24 महिलाओं का अपहरण रोज हो रहा है। वर्ष 1986 में पुलिस में महिला अपहरण के 1535 मामले दर्ज किये गये। उत्तर प्रदेश में 1630 लड़कियों के अपहरण हुए। दूसरे नम्बर पर राजस्थान में 1287 मामले पुलिस में दर्ज हुए। मध्यप्रदेश में 825 ऐसे मामले दर्ज किये गये। इसी तरह क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रतिदिन औसतन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। वर्ष 1986 में मध्य प्रदेश में 1268, उत्तर प्रदेश में 1192, महाराष्ट्र में 800, प. बंगाल में 503 मामले पुलिस रिकार्ड में हैं।

कम्प्यूटर युग की क्रांति के साथ 21वीं सदी में जाते हुए देश की यह कैसी विडंबना है कि समाज के इस श्रेष्ठ आधे भाग की अभी कलंकपूर्ण स्थिति बनी हुई है। शायद इसका कारण यही है कि विकास के शिखर, स्पर्श करने की योजनाओं में इन महिलाओं की दयनीय दशाओं के कलंक को मिटाने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। यही कारण है कि जब कहीं देवराला में कोई रूपकंवर जिंदा जला दी जाती है तो हमें अपनी सामाजिक सड़न का अहसास होता है। और फिर रूपकंवर की बहन नारी उत्पीड़न के विरूद्ध संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। मूल रोग नारी को दयनीय बनाने वाली अनेक संकल्पनायें, जिनमें से वैधव्य की संकल्पना महिलाओं के विरूद्ध सब से बड़ा अपराध है।

एक महिला शोध संस्थान के सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार—वैधव्य यातना भुगतने वाली महिलाओं में

25 वर्ष तक की युवतियां	18 प्रतिशत
15 वर्ष से कम की विधवा	3 प्रतिशत
25–40 वर्ष से कम की विधवा	41 प्रतिशत
कुल	62 प्रतिशत

24 प्रतिशत विधवाओं ने कभी पाठशाला नहीं देखी

18 प्रतिशत विधवायें चौथी क्लास तक पढ़ीं

53.5 प्रतिशत विधवायें हाई स्कूल तक पढ़ीं

33 प्रतिशत विधवायें इंटर तक पढ़ीं

12.5 प्रतिशत विधवायें उच्च शिक्षा तक पढ़ीं

ऐसी हालत में आज सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। भारत में लड़की क्यों पैदा होती हैं? और क्यों शादी करती हैं? औरत पत्नी क्यों बनती है? औरत क्यों इतनी मजबूर हैं? औरत पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं?

दरअसल भारत में महिलायें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। स्त्री का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता, नाहीं उसकी कोई अहमियत है। उसके बारे में लिए जाने वाले निर्णय में, खुद उसकी दखल-अंदाजी की मनाही है। यही वजह रही कि स्त्री संबंधी कानून में बार-बार संशोधन की जरूरत पड़ती रही।

आखिर क्यों नारी के अस्तित्व को नकार कर उसे एक योग्य वस्तु मान लिया गया जिसकी विभीत्स परिणति विधवा दहन के रूप देखने को मिली। इन सब प्रश्नों का जबाव एक ही है कि जब तक हमारा कानून एक औरत को उसके पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं देता तब तक औरत पर शोषण व अत्याचार होते रहेंगे। अभी तक भारतीय कानून से औरत को जो कि एक पत्नी है, घर की वह गृहस्वामिनी है, उसको उसके पत्नी रूप में कोई अधिकार नहीं दिए हैं।

घर में जब कन्या का जन्म होता है तो घर में कोई शंख नहीं बजाता, एक मनहूसियत छा जाती है। लड़की मां बाप के घर में लड़की होने के नाते अपने भाइयों के बराबर कोई बर्ताव नहीं पाती। लड़की का अपने बाप के घर में खाने पीने, पहनने, शिक्षा, मनोरंजन पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाप के घर में वह उधार की जिंदगी जीती है। या वह एक अच्छा पति, अच्छा घर, वर पाने की इच्छा में सैकड़ों व्रत रखती है, हजारों देवी देवताओं की पूजा करती हुई बड़ी होती है। किंतु पति का चुनाव करने का मौका उसे कभी प्राप्त नहीं होता। वह तो यह अपना सौभाग्य समझती है कि अपनी हैसियत से ज्यादा उसके मां बाप उसके लिए दहेज जुटाकर उसकी शादी कर देते हैं अन्यथा मां बाप के घर में भी वह प्रताड़ित की जाती रहती है। इसी उम्मीद में औरत शादी करती है कि उसका पति का घर तो उसका अपना होगा। वहां उसे बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन पति के घर पहुंच कर वह चारों तरफ भयानक शोषण का सामना करती है। और यहीं से शुरू होता है महिलाओं पर शोषण, अत्याचार का अंतहीन सिलसिला। शहरों की तुलना में गांवों में शोषण की शिकार महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उसका मुख्य कारण हमारी धार्मिक, सामाजिक मान्यतायें हैं। भारतीय स्त्री को दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, सीता जैसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हैं लेकिन धर्म प्रचारक उन्हीं महिलाओं का गुणगान करते हैं जो अपने पति के बड़े से बड़े दोष को छुपाते हुए उसकी खुशी के लिए अपने अस्तित्व को मिटा देती है, यहां तक कि सती हो जाती हैं।

अब जरा गौर करें उस नारी पर जिसको पति अग्नि को साक्षी मानकर सप्त पदी पढ़कर घर लाता है जिस औरत की मांग में सिंदूर डालकर पति उसे सौभाग्यवती बनाता है। जो पत्नी है घर की गृहलक्ष्मी, गृहस्वामिनी अपने पति की अर्धांगिनी है, परन्तु क्या वह सही अर्थों में गृहस्वामिनी है? क्या उसे घर के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है? क्या उसे अपनी मर्जी से पति की आय में से कुछ रुपया हर महीने खर्च करने का अधिकार है? यह एक मात्र सांत्वना ही है कि गृहलक्ष्मी की कमर में घर की चाबियों का बड़ा सा गुच्छा जरूर लटकता रहता है। क्या पत्नी को पति के बैंक अकाउंट, ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड में से कुछ खर्च करने का अधिकार है। क्या पत्नी का पति की मासिक आय में से अधिकार है? यह सब पाने के लिए इसके बदले में पत्नी को अपना तन मन सब पति पर बराबर निछावर करते रहना पड़ता है। उसे एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू, एक आदर्श मां की भूमिका जीवन पर्यन्त निभानी पड़ती है। क्या उसे पति के घर में वह दर्जा मिलता है जो उस के पति को सहज प्राप्त है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों पर जरा ध्यान दिया जाये कि पति के बाद पत्नी का सब कुछ होता होगा, पति के

[श्रीमती वीणा वर्मा]

रहते, उस घर की स्वामिनी, अर्धांगनी, गृह लक्ष्मी का कुछ नहीं, पत्नी, पति के रहते, एक एक दाने के लिये अपनी हर इच्छा, अपनी हर जरूरत के लिये पति की मोहताज है। पति ही उस गृहस्वामिनी का राशन कार्ड है, पति ही उसकी आइडेंटीटी है, पति की मृत्यु के बाद, पत्नी का पति के घर में, पति की सम्पत्ति, रुपये पैसे में अधिकार है। और वो अधिकार अर्धांगनी रूप में नहीं, पति की विधवा, बेटे, बेटियों की मां के रूप में है। दिल में बसने वाली पत्नी को इस जमीन पर पैर टिकाने का हक नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि भारतीय नारी, कौन से घर की गृहस्वामिनी है, किसकी अर्धांगिनी? कौन से भाग्य की सौभाग्यवती?

क्या औरत अपना अस्तित्व, अपना अधिकार पाने के लिये विधवा होने का इन्तजार करे?

हमारा कानून औरत को उसके घर में विधवा और माँ के रूप में अधिकार देता है, पत्नी रूप में नहीं? कहां है औरत का घर, कहां है उसका अधिकार? क्या बाप के घर में, जहां उसे बाप की सम्पत्ति में कानूनी अधिकार तो है, पर क्या यह समाज में संभव है कि उसे अपने पिता की सम्पत्ति में बेटों जैसा ही अधिकार सहजता से मिल सके।

वस्तुस्थिति यह है कि हमारे कानून में अभी तक महिलाओं को पुरुष का मोहताज माना जाता है। शादी से पहले या बाद में और कोई कुछ संपत्ति जोडता है, तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसकी पत्नी अपने आप संपत्ति की अधिकारी बन जाये।

इसकी जगह पति की मृत्यु या तलाक की सूरत में वह दर-दर की ठोकर खाने के लिये छोड़ दी जाती है। इस समाज में कानून के तहत घर में चौबीस घंटे और परिवार की देखभाल करने, खाना पकाने और कपड़े धोने वाली गृहणी का कोई महत्व ही नहीं। नौकरी पेशा पति की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाये, तो आप मुआवजा मांग सकते हैं, पर गृहणी की मृत्यु पर कोई मुआवजा नहीं। खुद महात्मा गांधी का मानना था कि संपत्ति पर अधिकार ही पुरुष को अधिकारी और महिलाओं को उनका मोहताज बनाता है।

पं० जवाहर लाल नेहरु महिला अधिकारों के हिमायती थे, लेकिन वह संयुक्त परिवार प्रथा के भी पक्के समर्थक थे, जहां पुत्र-पुत्री, स्त्री-पुरुष और भाई-बहिन में असमानता का भाव पनपता है। अभी हाल में ही 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर केन्द्रीय महिला कल्याण और विकास विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती सी०पी० सुजया ने बताया कि "देश के आर्थिक विकास में आज महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन विकास के आंकड़े तैयार करते समय खुद सरकार महिलाओं की उपेक्षा करती है।" उन्होंने कहा कि आज से समाज में जहां महिलायें न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ऊंचे पदों पर पर भी बैठी हैं, उन्हें भी बैंकों से व्यक्तिगत सम्पत्ति की जमानत दिये बिना कर्ज नहीं दिये जाते। यह स्त्री का बहुत बड़ा अपमान है कि पति की हिस्सेदारी होते हुए भी पति से सलाह करना तो दूर, अपने वित्तीय तथा पारिवारिक लेन देन की सूचना भी देना आवश्यक नहीं समझता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया---इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय नारी की हालत आधुनिक और सभ्य समाज बन जाने के बाद भी बहुत नाजुक है। उसे समाज में तब तक पूर्ण बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब तक उसे हमारा कानून पुरुष के समान ही अधिकार नहीं देता। तभी जाकर भारतीय नारी की स्थिति और सुरक्षित होगी। मैं ने 11 मार्च, 1988 को

संसद में विवाहिता स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1988 विधेयक भी पुनःस्थापित किया था। हालांकि मेरा विधेयक का संकल्प खास तौर में भारतीय मध्यवर्गीय समाज को महिला पर अधिक केन्द्रित है।

आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं सदन के माध्यम से आपकी अनुमति से सरकार से मांग करूंगी कि महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार दिलाने के लिये भारतीय संविधान में पर्याप्त संशोधन किये जायें। मेरा यह संकल्प विवाहिता स्त्री को निम्नलिखित अधिकारों को दिलाने के लिये पेशकश करता है :—

1. किसी महिला को विवाह के बाद, अपने पति की चल अचल सम्पत्ति में समान अधिकार मिलने चाहियें।

2. उसे अपने पति से न्यायिक अलगाव या विवाह विच्छेद मांग बिना अपने पति के मकान में रहने का अधिकार होगा चाहे वह उसके पति के स्वामित्व में हो या उसके संयुक्त परिवार के स्वामित्व में हो।

3. सम्पत्ति का अधिकार, जिसे हमारा कानून किसी महिला को पति की मृत्यु पश्चात देने का दावा करता है, उसे उसके विवाह के तुरन्त बाद दे दिया जाना चाहिये।

4. वे अधिकार जो किसी महिला को उसके विवाह विच्छेद के पश्चात प्राप्त होते हैं, उससे विवाह के पश्चात ही उपलब्ध हो जाने चाहियें। ताकि वित्तीय आधारों पर विवाह विच्छेद के मामलों से बचा जा सके।

5. वह न्यायिक अलगाव मांगे बिना अपने पति से अपने खाद्य, वस्त्र और अन्य सुविधायें तथा भरण पोषण और समर्थन पाने की हकदार होगी।

6. वह अपने विवाह की तारीख से अपने पति की सम्पत्ति में समान हिस्सा पाने की हकदार होगी और वह उस सम्पत्ति का अपने हिस्सा का व्यय विक्रय, दान बन्धक अपनी इच्छा के, रूप में या किसी भी अन्य रूप में करने के लिये हकदार होगी।

7. मां को अपने बच्चों की अभिरक्षा का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

8. उसके पति द्वारा कौटम्बिक कारोबार और उसके पति या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बारे में किये गये अन्य वित्तीय संव्यवहारों संबंधी मामलों में उससे परामर्श किया जायेगा।

9. कानूनी अधिकार के रूप में पत्नी का अपने पति के साथ संयुक्त भविष्य निधि खाता होना चाहिये।

मेरे प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा उन विधवा स्त्रियों के लिए है जिनकी हालत समाज में किसी भी स्त्री से ज्यादा बदतर है। ऐसी स्थिति में मैं उनके लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रस्ताव आपके सामने रखती हूं :—

1. काम के समय पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पत्नी को, उसके अन्यथा उपयुक्त होने की स्थिति में उसके पति के कार्य के बदले में रोजगार दिया जाना चाहिए।

2. वह ऐसी दरों और ऐसी शर्तों पर पेंशन पाने की हकदार होगी जो समुचित सरकार विहित करे।

3. उसका अपने मृत पति की संपत्ति पर प्रथम दावा और आत्यंतिक अधिकार होगा।

4. उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी न्यायालय या लोक अदालत में प्रवर्तनीय होंगे।

[श्रीमती वीणा वर्मा]

मैं सदन के माध्यम से सरकार से उपरोक्त संकल्पों की मांग करती हूं कि इस प्रस्ताव में संबंधित संविधान में यथोचित संशोधन किये जायें तथा संविधान में ऐसी व्यवस्था करने की भी मांग करती हूं कि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो और इनका उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके जिससे स्त्रियां अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी तथा निराश्रयता और आर्थिक सुरक्षा की भावना पर काबू तथा स्त्री पर शोषण, बढ़ते अत्याचारों, हत्याओं को कुछ कम किया जा सकेगा और भारतीय नारी एक बार फिर से अपने नारी होने की महानता पर गर्व कर अपने अस्तित्व की पहचान बनाकर देश की प्रगति में मनुष्य की बराबर की भागदार बन सकेगी।

The question was proposed.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वीणा वर्मा जी ने जिस महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, इनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही जरूरी है कि समाज में महिलाओं को समानता का उचित स्थान दिलाया जाये। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो अपने देश का पूरा विकास कर ही नहीं सकते। इसको करने के लिए कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है जिसकी ओर श्रीमती वीणा वर्मा जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदया इस पर गंभीरता से विचार करेंगी तथा हमारी सरकार इन तमाम पहलुओं के बारे में विश्लेषण करके, अनुसंधान करके किसी उचित नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं कानून बनाने के पक्ष में जरूर हूं लेकिन यह सिर्फ कानून का ही प्रश्न नहीं है। महिलाओं को उचित स्थान दिलवाने के लिए समाज के विचार में परिवर्तन की जरूरत है। इसके लिये पूरे समाज की अभी जो मनोभावना है उसको बदलने की बड़ी सख्त जरूरत है। यह केवल सौ या दो सौ वर्ष की बात ही नहीं है बल्कि हजारों वर्षों से ऐसी बातें लोगों के मन में घर कर गई हैं जिससे यह समझा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों के समान नहीं हो सकती हैं। इसलिये मेरा अपना ख्याल है कि जब तक कोई बहुत जोरदार सामाजिक आन्दोलन इसके लिये नहीं हो तब तक इस समस्या का निदान सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। वैसे मैं कानून बनाने के पक्ष में हूं जैसा कि मैंने पहले कहा।

आजादी का जो आन्दोलन हुआ उसने इस सवाल को शुरू तो किया। उन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, स्त्री शिक्षा के लिये आन्दोलन किया लेकिन जब लोग सत्ता में आ गये तो उन्होंने इसको सरकार के जिम्मे छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि जब दरोगा ही इस काम को करेगा, एस. डी. ओ. ही इस काम को करेगा। बाकी राजनैतिक पार्टियों के लोक शासक पार्टी के और दूसरी राजनैतिक पार्टियों के लोगों ने इस पहलू पर जोर नहीं दिया। एक बात हमारे यहां जो बहुत गहराई से प्रारम्भ काल से समझाई गई है, हजारों वर्षों से भी पहले जो कुछ मूल्य स्थापित किये गये थे उन मूल्यों में महिलाओं को गौण स्थान दिया गया है। अब तो हमारा अपना संविधान हो गया है जिसने मनु स्मृति की स्थापना को रद्द कर दिया है। अब हम मनु स्मृति पर आश्रित नहीं हैं लेकिन संस्कार जो हमारे घरों में हैं वे वही बने हुए हैं। कोर्ट, कचहरी और पार्लियामेंट में विवाद के लिये संविधान अच्छा है और अदालतों में यह संविधान अमल में भी है लेकिन यह संविधान हमारे जीवन की शैली नहीं है। सब से बड़ी बात कमजोरी जो हमारे और आपके बीच में है वह यह है कि हमारा संविधान हमारे जीवन की शैली नहीं बना। इट इज नाट वे आफ लाइफ आफ इण्डियन पीपल। जैसे मैंने पहले कहा मनु स्मृति की चर्चा की उसमें क्या लिखा है। उस में यह लिखा है पुत्रार्थं क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनियम। हम स्त्री से शादी क्यों करते हैं? लड़कों के लिए, लड़का-लड़की दोनों के लिए नहीं पुत्रार्थं क्रियते भार्या,। पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र होगा तो पिंडदान होगा। पिंडदान क्यों चाहिये? इससे धन का अधिकार होगा। धन-धर्म साथ-साथ चलता है। हमारे बाप-दादा बड़े होशियार थे। स्वर्ग भी मिल जाता है और धन भी दोनों

काम चल जाते हैं । अगले जन्म का भी प्रोविडेंट फण्ड और सोसल सिक्युरिटी हो गया । इसीलिए बड़ी होशियारी से इन मान्यताओं को स्थापित किया गया था । अब यह मनु स्मृति जो है और यह पिंडदान जो है अगर हम यह कहें कि इनको खोज किया जाए तो हमारी शासक पार्टी के कुछ लोग कहेंगे कि कम्युनिस्ट अधार्मिक हैं धर्म के खिलाफ हैं इसलिए यह बात कहते हैं । हम सब की बात नहीं कहते हैं लेकिन आपके दल में भी ऐसे लोग हैं दल के बाहर ज्यादा हैं दल के बाहर तो उन्हीं का बहुमत है । अगर सब मिल कर वोट दें तो हम को आऊट-वोटेड कर देंगे और जो हमारी मान्यताएं हैं सब उनके विपरीत चले जाएंगे । अब आपने देखा होगा जब शादी होती है तो कन्यादान होता है । पहला विवाह कार्य कम से कम ऊंची जातियों के लोगों में कन्यादान होता है । क्या यह संविधान है कि हम लड़की का दान करते हैं यहां संविधान चुपचाप बैठा रहता है । आपको जो निमंत्रण पत्र मिलता होगा उस में यह लिखा रहता है कि हमारी पुत्री का कन्यादान फलां दिन फलां समय पर है इसलिए आप लोग आइये आप लोग भी जाते हैं और हम भी जाते हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं नहीं जाता हूं । उसमें यह लिखा होना है कि कन्यादान होगा । लेकिन समस्या यह उठेगी अगर लड़की कहे कि हम बाप दान करेंगी क्योंकि उनकी भी बराबर का हक है तो फिर क्या होगा । इसलिए परिवर्तन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें और भी गहराई में जाना होगा । इसी तरह इस्लाम की बात है । वैसे मेरा जन्म तो हो गया हिन्दू परिवार में अगर मैं इस्लाम की बात बोलूं तो तुरंत वे हम पर हमला करते हैं । सदन के बाहर तो बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है । उनकी हदीस यह है कि एक से ज्यादा स्त्रियां रख सकते हैं चार तक रख सकते हैं इसकी अगर मैं बाहर कहूं तो बड़ा हंगामा वे करते हैं ? मैं आपको एक घटना सुनाता हूं । एक बार ऐसा हुआ कि हमारे राज्य में चुनाव था मैं ही राज्य के सेक्रेटरी का काम कर रहा था मुस्लिम लोग के अध्यक्ष आए और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनका चुनाव एडजस्टमेंट हो सकता है या नहीं । तो हम ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिज्म और आपके इस्लाम में क्या समानता है जिस आधार पर एडजस्टमेंट होगा तो कुछ बताइये । उन्होंने कहा कि बहुत समानता है दोनों में ऐसा है कि *सभी साथ बैठ कर खाइये, यह सब कीजिये* वह कीजिये । आखिर उन्होंने कहा कि कुछ भेदभाव वाली बात मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा है तो मैंने कहा कि इसको हमारी पार्टी मानती है कि आपके साथ भेदभाव है । लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमाह लोगों को हिन्दुओं को कुछ ज्यादा सुविधा हैं । उन्होंने कहा यह क्या है । मैं कहा कि वह कहते हैं कि हिन्दू तो एक ही शादी कर सकता है और मुसलमान चार चार कर सकते हैं इसलिए यह भेदभाव वाली बात है तो इसका मौलवी साहब आपका क्या जवाब है । उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म चहैर बीवी रख सकते हैं इसका मतलब हैं कि सब को बराबर खाना-पीना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ बराबर दिया जाए ह हादासी में लिखा हुआ है । मैंने कहा कि आप उम्र में मुझ से बड़े हैं इसलिए आपकी बीबी हमारी भाभी हुई अगर मैं कुछ *मजाक करूं तो आपको दुख तो नहीं होगा ?* मैंने कहा कि अगर हमारी भाभी कहें कि हम चार चार मर्द रखेंगी सब को खाना-पीना, कपड़ा, लत्ता सब कुछ बराबर देंगी तो फिर आपका क्या रुख होगा ? अब वह हमारे ऊपर बरस पड़े । जब मैंने एकाध जगह भाषण दिया तो कुछ बाहर मुसलमान जमात के लोगों ने हम पर हमला किया । अब यह बताइये कि आज की स्थिति में भी अगर चार चार शादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं तो हम क्या सुधार कर सकते हैं वीणा वर्मा जी से कहूंगा कि उनके जैसे लोग महिलाओं में जा कर ऐसा करें जिससे मुस्लिम महिलाएं इसके लिए आवाज उठायें । आखिर यह आवाज कौन उठायेगा ? हिन्दुओं के लिए भी मैंने कहा कि कन्यादान शब्द के लिए आप एतराज नहीं करती हैं तो यह आवाज कौन उठायेगा . . . (**व्यवधान**) उन्हीं को उठाना चाहिए । सबसे पहले तो वे लोग ही उठायें । इसलिए हमको लग रहा है कि हमारे देश को एक कल्चरल रिवोल्यूशन सांस्कृतिक क्रान्ति की जरूरत

[श्री चतुरानन मिश्र]

है । आ । महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए कहता हूं कि आप लोग ऐसा किये हुए हैं कि आपने अपने संगठन को 13 जगहों में बांट दिया है कही कांग्रेस चलित अखिल भारतीय महिला संगठन है, कहीं कम्युनिस्ट चलित संगठन है कहीं दूसरों द्वारा चलित संगठन हैं तो 13 जगहों में आपने बांट दिया है । मुट्ठीभर आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं और वे भी 13 जगहों में बंटे हुए हैं ।.... (**व्यवधान**) हम चाहते हैं कि एक होकर सब लोग करें ।.... (**व्यवधान**)

SHRI DHARNIDHAR BASUMATARI (Assam): Is there any unity among them? How do you expect them to have unity?

SHRI CHATURANAN MISHRA: There are certain problems which are national problems. I think on these questions all of us should unite. When it comes to the question of vote, then we must go to our parties. But on the national problems, we must face them unitedly if we want to survive and if we want our country to progress.

तो फिर मैं अपने विषय पर आता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि इसके लिए इन महिलाओं को चाहिए कि वे जोरदार ढंग से अपने सभी संगठनों का कोआरडिनेशन कमेटी बनावें तमाम महिलाओं के संगठनों की बनायें और एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करें ताकि इस काम को पूरा किया जा सके । ऐसा करते वक्त इसमें कोई उश्रंखलता नहीं आनी चाहिए । यह हम परहेज के लिए कहेंगे क्योंकि योरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको हम समझ नहीं रहे हैं । शायद हमारा जेनरेशन गैप हो गया है इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं योरोप की बात, जैसे मान लीजिए वे कहते हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, शादी क्यों करनी ? तो इस तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं शायद मैं out of dates. I am unable to understand the meaning.

या कुछ इस तरह की बात कि समलैंगिक शादियां हों, एक ही लिंग के लोगों में आपस में शादी हो, यह भी हमारे जैसा आदमी I am old enough to understand these problems.

तो मैं इतना ही आपको कहूंगा कि परहेज की बात होनी चाहिए लेकिन अभी उस का बड़ा खतरा नहीं है । जरूरत है, कि आप एक ऐसा आन्दोलन खड़ा करें जिसमें पूरा राष्ट्र सहयोग करें । हमारा देश तो ऐसा है कि जहां बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह कि सांस्कृतिक परम्पराएं है इनको साथ लेते हुए चलना है । इस संबंध में एक बात है और वह अपने भारत की विशेषता है

मुझे योरोपीय और कम्युनिस्ट देशों में जाने का अवसर मिला है, वैसे श्रीमती वर्मा जी ने बहुत अलोचनात्मक ढंग से कहा है कि सोवियत संघ और चीन में महिलाओं को उचित स्थान नहीं प्राप्त है । वे बिना गये हुए कह रही हैं.. (**व्यवधान**) अगर इनकी सरकार इज्जाजत दे तो हम चाहेंगे कि खुद जायें और देखें..... (**व्यवधान**) अगर गयी हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहां महलिाओं में कितनी ज्यादा शिक्षा है और महलिाओं तथा पुरुषों में कोई भेद नहीं है, समान स्तर पर हैं । कुछ पेशा तो लगभग पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती है जैसे डाक्टर, वकील, जजेज, ये सब पोस्ट्स हैं... (**व्यवधान**)

श्री कपिल वर्मा : प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होती हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र : यह बात ठीक है कि हुई नहीं हैं । इसमें हम लोग आगे बढ़े हुए हैं । यह हम कह दें कि आपके यहां एकाध सिलेक्शन बहुत अच्छा है हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे यहां महिलाएं प्रधान मंत्री हो गयी है । हमको गौरव है कि ऐसा हुआ है हमारे देश में, लेकिन इससे समझते हो कि तमाम महिलायें उन्नत स्थान पर चली गयी हैं तो यह शायद पुरुषों की ट्रिक है जिससे महिलाओं को ठगना चाहते हैं.... (**व्यवधान**) मैंने दोनों बातें कह दी हैं.... (**व्यवधान**) हमने आपसे कहा कि उनको जाने का अधिकार है । यह गौरव की बात है कि हमारे यहा

महिला प्रधान मंत्री हो गयी है और कल कमांडर इन चीफ भी हो सकती हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं । लेकिन आप लोग एक दो महान का नाम लेकर जन साधारण को भुला देते हैं । ....(व्यवधान) यही हमारा आपका फर्क है ...(व्यवधान) आपके यहां टाटा साहब हैं, आपके यहां बिरला साहब हैं, बाकी दरिद्रों का भारी समूह है कम्युनिस्ट देशों में नहीं हैं ।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Can we live on past glory?

SHRI CHATURANAN MISHRA: What is past?

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Can we live on past glory just because one lady was the Prime Minister of India?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I have already said that I am proud of the fact that we had lady Prime Minister. But I also feel that if you say that therefor all Indian women are quite developed and they have equal rights with men, then it is only a trick by men. That was my concern.

हमने तो आपसे कहा कि हम तो उसको अच्छा समझते हैं । वह अभी ही नहीं हुआ, प्राचीन समय में भी हुआ—मैत्रेयी, गार्गी, आदि, याज्ञवल्क का मुकाबला करने वाली महिला ही थी । उतनी पुरानी बातों में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यह सब कह कर हम महिलाओं को ठगना नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि वह खुद आगे आयें । सीता, सावित्री, किस-किसका, अनेक नाम तो आपने ही लिये हैं । सरस्वती तो हमारे यहां विद्या का अर्थ ही है, लेकिन उससे अगर आप समझिये कि महिलाओं में सरस्वती का ज्यादा विकास है .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज वीणा जी ही बन गई हैं ।

श्री चतुरानन मिश्र : वीणा-धारणी—वीणा नहीं है, वह तो सरस्वती के हाथ में है, यह सिर्फ वीणा है । तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन बातों को कह कर मैं मल समस्या से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन मैंने कहा कि एक विषय पर, उपसभाध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि सदन आकर्षित हो ।

मैंने चर्चा की कि कम्युनिस्ट देशों में और युरोप के देशों में अधिकार तो महिलाओं को ज्यादा है हमारे यहां से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात से हम भय खा रहे हैं और वह यह है कि हमारे पिछड़ेपन की हालत का तो निराकरण होना चाहिए, वह तो बिलकुल जरूरी है, लेकिन डाइवोर्स हमारे यहां कम है और उनके यहां बहुत ज्यादा है । हम डाइवोर्स के अधिकार के पक्षपाती हैं, और उनको यह अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन डाइवोर्स के हम प्रशंसक नहीं है । दोनों में हम अपना फर्क बतला दें—हम महिलाओं को या पुरुषों को डाइवोर्स का पूरा अधिकार देना चाहते हैं, जब जरूरत पड़े, वह कर सकते हैं । इसके मिसयूज करने का तो हमको हक ही नहीं है, क्योंकि वह दो ही आदमी मिल कर के करेंगे, तो तीसरे का इसमे बोलने का क्या रहेगा ? वह समाज कोई अच्छा समाज नहीं है जहां परसेंटेज आफ डाइवोर्स बहुत ज्यादा है । हम इसकी तारीफ नहीं करेंगे । हम चाहेंगे कि यह अधिकार रहते हुए, उनका जो विवाहित जीवन है, वह ज्यादा से ज्यादा दिनों तक टिका रहे । हम इसके पक्षधर हैं । इस अर्थ से हमको लग रहा है कि भारतीय परम्परा की भी एक देन है ।

इस सवाल पर चर्चा करते हुए इसका भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पश्चिमी देशों से हर चीज नकल करने के हम आदि नहीं हो, इसलिए डाइवोर्स की नकल करके उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दें, उसके हम पक्ष में नहीं हैं । वैसे हम प्रत्येक डाइवोर्स के आलोचक भी नहीं हैं और इस अधिकार को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा ।

मैं सदन का ध्यान महिलाओं के संबंध में दो बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, । पहला है, जिसको मैंने

[श्री चतुरानन मिश्र]

देखा है—वह है इम्प्लायमेंट में महिलाओं का स्थान । मुझे लग रहा है कि प्राचीन काल में या समाज के पुराने काल में जब से सम्पत्ति अर्जन में महिलाओं का पूरा स्थान नहीं रहा तब से इसके चलते उनको एक तरह की गुलामी कहिए या किसी तरह से उनको मरदों से सेकंडरी पोजीशन में जाना पड़ा और अगर यही बात रही, तो इन्होंने जिन अधिकारों की चर्चा की, उसमें मैं चाहूंगा कि महिलाओं का एक खास परसेंटेज हम सब मिल कर तय करें—वह 25–30 प्रतिशत जो भी हो, नौकरियों में, नियोजन में हर जगह में सिर्फ सरकार में ही नहीं, तमाम जगहों में इनको स्थान दिया जाए । अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं.....(व्यवधान) नियोजित हो सम्पत्ति अर्जन का काम करें ।

श्री धरनीधर बासुमतारी : मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी...

श्री चतुरानन मिश्र : मेम्बर पार्लियामेंट तो चुनाव से होता है, वैसे दे दें, तो हमको कुछ एतराज नहीं है, लेकिन इसमें तो सभी मिल कर के वोट देते हैं । लेकिन हम मेम्बर पार्लियामेंट को सम्पत्ति अर्जन का साधन नहीं समझते हैं । जो सब को प्रिविलेज होना चाहिए वह उनको भी होना चाहिए, सारे समाज को है इसलिए मैं उस पर नहीं जाता लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियोजन में स्थान दिया जाए । वे अगर कमाने वाली सदस्य हो जाएंगी तो उनको समानता का अधिकार अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा । दूसरा विषय है शिक्षा का पिछली कई दशाब्दियों में हमारी आजादी के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी काम किया गया है लेकिन अब भी हम बहुत पीछे हैं । जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए भी हम बहुत पीछे हैं और इसके लिए एक विशेष कोष सरकार के पास संग्रह होना चाहिए और एक अभियान इसके लिए चलना चाहिए । वैसे तो पुरुष लोग भी बहुत ही पीछे हैं ।

अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि वह यह कि महिलाएं कोई अलग जीव नहीं हैं, वे हमारे समाज का ही अंग हैं । अगर समाज दरिद्र रहेगा, भारत दरिद्र रहेगा, भारत अनपढ़ रहेगा, भारत पिछड़ा रहेगा तो ह सभी औरत मर्द पिछड़े रहेंगे । इसलिए महिलाओं को ऐसे आन्दोलन में और भी आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए जो संपूर्ण भारत के विकास के लिए है, क्योंकि उनको हम से ज्यादा गरीबी का बोध होता है । वे बच्चों को बिना खिलाएं अगर सो जाएं तो वह उनके लिए संभव नहीं है । वे अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों को खिलाती हैं । इस तरह से उनको बहुत सहना पड़ता है ... **(व्यावधान)**

एक माननीय सदस्य : पति को भी ?

श्री चतुरानन मिश्र : पति को तो खिला भी देती है, दो-चार डंका उनसे खा भी लेती है, यह आपको मालूम भी होगा । हम उस पर नहीं जाना चाहते थे । तो इसलिए मैंने यह कहा कि इस विषय की ओर ध्यान दिया जाए और उसका इसमें समवेश नहीं था । मुझे आशा है कि वीणा जी इस पर भी ध्यान देंगी । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There are 5 MPS who want to speak on this. So I would like that they should be accommodated.

SOME HON. Members: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will allow others also. But others should speak less. Mr. P. N. Sukul. Not more than 10 minutes. (*Interruptions*)

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): He said that 5 lady MPs want to speak. One has already spoken. The other is a Minister. There are only three left.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): I think that men should also speak.

श्री पशुपति नाथ सुकुल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सब से पहले मैं माननीया वीणा वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी महिलाओं के शोषण के प्रति जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था संसद है उसमें इस विषय को उठाया और हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और हमारे द्वारा पूरे देश का ध्यान महिलाओं के शोषण की ओर आकर्षित किया है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उसके भी पहले श्री नेहरू जी हमारे सभी नेता लोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति सदैव सचेत रहे हैं और यही कारण है कि हमारे संविधान में भी उनको समानता का स्थान मिला है और दिया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं किसी चीज़ को प्राप्त करने में इक्वैलिटी दोनों को है। यानी सैक्स के ऊपर, क्रीड के ऊपर धर्म के ऊपर भाषा के ऊपर कोई भी दो नागरिकों चाहे पुरुष-पुरुष हों, चाहे महिला-महिला हों, उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं के मन में थी और यही कारण है कि हम हमारी इंदिरा जी ने तो विशेष प्रयास किया महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए और आज भी हमारी मंत्री जी श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी बैठी हुई हैं यह महिलाओं के अधिकारों के प्रति काफी सचेत हैं और उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास करती रहती हैं, हमारी सरकार मतलब है हमारी कांग्रेसी सरकार। यह बात दूसरी है कि जब हमारे यहां विरोधी सरकार थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार जब हमारे उत्तर प्रदेश में विरोधी सरकार बनी तो उसके मुख्य मंत्री का कहना था कि महिलाओं को तो सिर्फ कण्डा थापना चाहिए। महिलाओं को अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए यह सन् 1967 की बात है और उस समय जो महिलाओं का एक महिला मण्डल था उनकी योजना को ही उन्होंने समाप्त कर दिया था और सारी महिलाओं की नौकरी समाप्त कर दी। हजारों महिलाएं बेकार हो गयीं। तब उन्होंने जाकर उनका घेराव किया, डण्डे चले।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : श्री चौधरी चरण सिंह।

नाथ सुकुल : वे अब नहीं हैं, इसलिए इस समय मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। मैं कह रहा था कि वह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और उसमें हमारे सभी विरोधी दल के लोग मंत्री थे। लेकिन तब से अब तक काफी समय बीत चुका है और महिलाओं के प्रति हमारा समाज काफी जाग्रत हो चुका है। उनके अधिकारों के प्रति जाग्रत हो चुका है। इसमें दो राय नहीं हैं कि आज भी महिलाओं का शोषण बचा है। हम आज भी यह देखते हैं कि दहेज के नाम पर या दूसरे नाम पर महिलाओं का शोषण होता है। हम अक्सर अखबारों में देखते हैं कि किसी महिला को जला दिया गया, उसने फांसी लगा ली। यह सब शोषण के फलस्वरूप ही हो रहा है। हमारी महिलाएं स्वयं अपना अंत कर लेती हैं या दूसरे उनका अंत कर देते हैं अपने आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यह बहुत ही घृणित स्थिति है और इस स्थिति से हमारे देश की महिलाओं को निकालना हमारी संसद का और हम सब का कर्त्तव्य है, सारी पार्टियों का कर्तव्य है और इसलिए यह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव हमारी माननीय सदस्या श्रीमती वर्मा जी लाई हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ बातें आपने कही हैं, मुझे उनकी पूर्ति में थोड़ी शंका है। जैसे कि आपने कहा कि किसी महिला को विवाह के बाद अपने पति की चल तथा अचल संपत्ति में समान अधिकार मिलने चाहिए विवाह के बाद। यानी अगर संपत्ति हो तो। नंबर एक, दूसरे अगर संपत्ति हो ही नहीं तब समान अधिकार किससे मिलने चाहिए। बच्चों के समान मिलने चाहिए या पति के समान मिलने चाहिए? यह आपने इसमें नहीं बताया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): She wants to say 'equitable'.

श्री पशुपति नाथ सुकुल : एक्वीटेबल मीन्स अगर उनके दो बच्चे हैं तो उनको भी वह अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि पत्नी को मिल जाएगा और बच्चों का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसमें स्पष्ट करना चाहिये कि कैसा अधिकार, किसके समान अधिकार। अगर वह

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

संपत्ति पति की कमाई हुई है, पति द्वारा अर्जित है तो फिर उसमें पति की विल चलेगी । उसमें आपका अधिकार मांगना नहीं चलेगा ?

उपसभाध्यक्ष : (श्री जगेश देसाई): तो फिर अर्धांगनी कैसे कहेंगे ?

श्री पशुपति नाथ सुकुल : अगर वह विल कर दे कि हम पत्नी को नहीं दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो फिर पत्नी वह अधिकार नहीं ले सकती ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : वह तो घर में पति के लिए काम करती है और उसका शेयर उसे मिलना चाहिये ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : महोदय, मैं आज के कानून की बात कर रहा हूं। उसको गुजारा मिल सकता है। क्या पति को वसीयत करने का अधिकार नहीं है ? . . . **(व्यवधान)** . . . मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं लेकिन जहां अगर राइटिंग में लिखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष : (श्री जगेश देसाई): सुकुल जी आप मुझे एंड्रेस कीजिए ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : महोदय, इसमें लिखा है कि चल तथा अचल सम्पत्ति मे समान अधिकार मिलने चाहिये । तो सवाल यह है कि चल और अचल संपत्ति में समान अधिकार तभी मिलेगा जब कि उसके पति की कोई विल न हो और उसके कोई बच्चे न हों तभी तो उसको टोटल अधिकार मिल सकता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उनको अर्धांगिनी क्यों कहते हैं, वह जानना चाहती हैं ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : जहां पर वह वास्तविक रूप से अर्धांगिनी है वहां पर पति उसको उसका अधिकार अवश्य देगा । अगर आप अपने को अर्धांगिनी मानती है और आपका पति भी अपने को आपका आधा अंग मानता है तो उस अधिकार के लिए आप को लड़ना नहीं पड़ेगा । वह आपको अवश्य मिलेगा । . . . **(व्यवधान)** . . . आप उसके पहले ही उसको छीन लेना चाहती हैं । जब वह मौजूद है तभी उसका आधा आप छीन लेना चाहती हैं ।

श्रीमती वीणा वर्मा : वह कम से कम आश्वस्त तो हो जायें कि वह उनको मिलेगा ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आपने दूसरी बात कहीं कि महिला को संपत्ति पति की मृत्यु के बाद देने का वायदा किया जाता है, लेकिन आप चाहती हैं कि वह संपत्ति उसको विवाह के बाद ही तुरन्त दे दी जाय। जो चीज मृत्यु के बाद करनी है वह विवाह के पश्चात् कर दी जाय । इसके मायने हैं कि आप विवाह ही संपत्ति के लिए कर रही हैं । जैसे ही विवाह हो आप को सारी संपत्ति मिल जाय, तो मैं समझूंगा कि आप यह दावा विवाह के लिए नहीं कर रही हैं बल्कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं । . . . **(व्यवधान)** . . . अगर ऐसा है तो आप उन शब्दों को इस्तेमाल करें । शब्दजाल जो यहां है वह गलत है क्योंकि आप अपने पति की संपत्ति पर इज्सो फैक्टो अधिकार उसके जीते जी नहीं प्राप्त कर सकतीं । जैसा कि मैंने शुरू में कहा उसकी अर्जित संपत्ति पर उसका ही अधिकार है, यह कानून है आज का । पति को विल करने का अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता । फिर तीसरा है कि वे अधिकार, जो किसी महिला को उसके विवाह विच्छेद के पश्चात् प्राप्त होते हैं, उसे विवाह के पश्चात् ही उपलब्ध हो जाने चाहिये ताकि वित्तीय आधारों पर विवाह विच्छेद के मामलों से बचा जा सके । जो डाइवोर्स के बाद मिलता है जैसे मेहर, वह आपको विवाह के बाद ही मिल जाना चाहिये । वह कैसे संभव है । एलीमोनी जो हमको डाइवोर्स के बाद मिलनी हैं । वह विवाह के बाद ही मिल जाय इसके मायने है कि आप विवाह

में और डाइवोर्स में कोई अन्तर नहीं कहतीं ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग: (गुजरात) : मेहर भी दो किस्म की होती है ।

SHRI V. NARAYANASAMY: If a wife divorces her husband, then is he entitled to any property?

श्री मिर्जा इर्शादबेग : मेहर भी दो तरह की होती हैं । एक तो शादी के बाद ही औरत को मिल जाती है ताकि उसकी एकोनोमिक इंडिपेंडेंस कायम रह सके । और दसरी जो होती है वह डाइवोर्स के बाद उसक मिलती है । तो वीणा जी का कहना है कि उसका एश्योरेंस कानून में हो जाना चाहिये ताकि औरत को इकोनोमिक इंडिपेंडेंस बनी रहे ।

श्री पशपति नाथ सुकुल : आप देख लीजिए कि इस तरह से हमारी आधी संपत्ति तो चली गयी । हमारे हिन्दुओं में यह व्यवस्था नहीं है । क्रिश्चियंस मे नही है । मेरा कहना यह है कि हिन्दुओं में तो औरतें अर्धांगिनी मानी जाती हैं, वहां पर कांट्रेक्ट नहीं होता है... **(व्यवधान)** ...

चौथी बात इन्होंने कही है कि कानूनी अधिकार के रूप में पत्नी का अपने पति के साथ संयुक्त भविष्य निधि खाता होना चाहिये । अगर पति काम करता है जो जी. पी. एफ. जो जमा होता है, वह दोनों का होना चाहिये ...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : सुकुल जी पांच-छः मागें रखेंगे तो एक दो मिलेंगी । आप तो जानते हैं, आप लेबर लीडर हैं ।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : महिलाओं की मांग पर पशुपतिनाथ बोलें तो उसको मानना चाहिये, वे डबल नाथ हैं ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आज के कानून मे जी. पी. एफ. उसी का होता है जो काम करता है, अगर महिला काम करती है तो उसका जी. पी. एफ. होगा तो उस पर पति भी क्लेम करेगा ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : आप वर्डस पर मत जाइए, उसमें जो इंटेंशन है वह यह है कि महिलाओं की इकानामिक प्रोटेक्शन होनी चाहिये ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : पांचवीं बात आप ने इसमें कही है कि संपत्ति के निष्पादन का अधिकार पत्नी को भी होना चाहिये । यह अधिकार अभी भी उनको प्राप्त है । वह इच्छानुसार अपनी संपत्ति का निपटान कर सकती है बशर्ते कि वह उसकी हो । उसको दसरे की संपत्ति का डिस्पोजल करने का अधिकार कैसे नहीं है। वह दसरे की संपत्ति को नहीं बेच सकती ।

छठी चीज इसमें कही गयी है कि न्यायालयों को, उसके समक्ष पेश किए गए पति और पत्नी के बीच के सामाजिक-आर्थिक तथा विवाह-विच्छेद संबंधी सभी मामलों में शीघ्र न्याय प्रदान करना चाहिये । इसमें कोई दो राये नहीं होनी चाहिये । यह ठीक बात है ।

सातवी चीज आपने कही कि मां को अपने बच्चों की अभिरक्षा का संपूर्ण अधिकार होना चाहिये । यह सवाल तब उठता है जब डाइवोर्स हो जाए या सेपरेशन हो जाये । जब तक डाइवोर्स या सैपेरेशन नहीं हुआ है तब तक यह सवाल पैदा नहीं होता । अगर डाइवोर्स हो गया है तो कोर्ट जैसा कहेगा, वैसा होगा । यह बच्चों पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे मां के साथ रहना चाहते है या बाप के साथ । अगर बच्चे कहते है कि वे बाप के साथ रहना चाहते हैं तो मां कैसे कहेगी कि मां को ही अधिकार होना चाहिये ? यह बिन्दु भी इसमें टेढ़ा है ।

आठवीं चीज आपने यह कही है कि काम के समय में पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पत्नी को, उसके अन्यथा उपयुक्त होने की स्थिति में, उसके पति

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

के कार्य के बदले में रोजगार दिया जाना चाहिये । इसके लिए हम सब लोग राजी हैं । मैंने अपनी स्टेट में इसको सैंक्शन [illegible] और हमारी सरकार तथा तमाम [illegible] में यह नियम है कि यदि कोई आदमी काम करते हुये मर जाए तो उसके एक वार्ड या उसकी बीवी को सुनियोजित किया जाये, एंप्लाय किया जाये, उसकी योग्यतानुसार वह पद प्राप्त कर सकता है, पति का स्थान तो उसे नहीं मिल सकता है ? लेकिन उसकी योग्यतानुसार उसको पद दिया जाता है ताकि उसका भरण पोषण हो सके । यह तो नियम आज भी है ।

नवीं बात आपने यह कही है कि विधवा को पेंशन दिए जाने के लिए सांविधिक उपबंध किया जाना चाहिये । लेकिन उस विधवा के पास यदि संपत्ति न हो, उसकी आजीविका का साधन न हो, या वह डेस्टीट्यूट हो तो उसको पेंशन मिल सकती है । जिसके पास आजीविका का साधन है, जरिया है, उसको पेंशन पाने का कोई हक नहीं है ।

इन शब्दों के साथ में माननीया वीणा जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: (West Bengal): Sir, there is nothing much to say because it is admitted by all that this is a very serious problem.

First of all, I must congratulate Shrimati Veena Verma for bringing such a good Resolution and the hon. Members for taking lively interest in the debate. The problem is really acute. To my mind, we are in an advanced stage of society in this respect that our Constitution guarantees full equality between woman and man. There are plenty of laws which recognise this fact. But the problem is, in reality the situation is contradictory. Every day we are talking of the increased atrocities on women. Nobody says that women should be deprived of equal rights. Everybody says that they should be given education, they should be given right to property, but in reality the situation is just the opposite.

A century before it was not recognised that women should be given education, they should be given equal job opportunities. When Raja Ram Mohan Roy and Vidya Sagar started their movement, the situation was different. When Vidya Sagar started schools and colleges, he had to write in the bus:

"KANYAPYAB AG PALANIYA SHIKSHYANIYA TE JATHATA"

That is, girls also have to be taught. During those days there was even superstition that if a girl learns to read and write, she will become widow. That was the belief. Now we are in an advanced society We have reached a stage where in Constitution, in laws, women have been given equal rights, equal opportunities to work. In 1917 when Montage mission came here, Shrimati Sarojini Naidu and some other ladies of the AIWC lead a deputation asking for women's franchise. So, it is through centuries that we have been struggling for women's rights, women emancipation, women education, etc. All these social rights have not been achieved so easily. The law against 'Sati' was the first great reforms in our country under the leadership of Raja Ram Mohan Roy in 1829. After that so many bills, like property bill, marriage bill, were passed. Even before independence so many laws were passed. I asked our liberary people to give me a list of laws passed for women before and after independence. I find that there is a big list of laws passed even before independence for the welfare of women. But these are the fruits of social awareness and social recognition of women's rights. Now, the most paradoxical and contradictory situation is existing. On

the one hand there is so much for the welfare of women in the Constitution and in other laws, on the other, we see in reality that women are in the age of darkness.

Why is it so? It is not a question of little patch work here and there. The main thing is that we have to improve the economic dependence of women. So far as work is concerned, women do labour from sunrise to sunset. Domestic work has no system of 8-hour work or 9-hour work. They must work and they go on working. There is no restriction and no limitation on that labour. But that labour is not recognised as a socially productive labour and it has not got any exchange value. For their livelihood, they have to depend on men. This is the crux of the problem; this is the socio-economic background which is actually the reason for the lower status of women in society. Because it is a reality that when a woman is dependent on man, there cannot be equality. The wife is economically dependent on the husband. So, if he says, "do this or do that", how can the wife refuse it? He is the owner; he is the master; that is why his name is husband. That is the point.

We do not have to blame a particular man or a particular woman, or men in general or women in general. This is the socio-economic system here. Our families are men-centred families and based on the concept of private property. The men are the bread-winners. That is the crux of the problem. This we have to realise. Now I do not say that as soon as you start earning, you can easily get equality. No, afterwards it takes years to rouse the consciousness of people.

Now it has also been recognised that women should be given equal opportunity in education and in employment. But the practical point is that we are not getting jobs, we are not getting education. You see the statistics in our census what percentage of women are educated or literate and what percentage of women are employed and earning their own bread.

I remember a year before, just when the Muslim Women Bill was passed, we organised a demonstration of women's organisations and went to see the Prime Minister in a deputation about this Bill. Then the Prime Minister said: "We cannot just have this law that after **talaq** they can have their right of maintenance". Then we said: "We do not want any maintenance or anything. You just give an assurance that as soon as a Muslim woman is given *talaq*, you will provides for a job for her. We do not want anything else. If they can earn, they can stand on their own legs, they can live a most respectable and honourable life. Why should they go to their husbands of to that Wakf Board for maintenance"? So that is the main reason. Because mainly they are economically dependent. Is it the rule of nature that they will remain unequal, they will remain dependent on men? No, it is not the rule of nature. This is a rule which man has made, the society has made—that we divide it into classes, into 'haves' and 'have-nots'. And women belonging in general, to that exploited class. This is the fundamental thing. Then all other sides are there. Naturally, social awareness, moral norms and all sorts of things are associated with it. Now you see each case. The Dowry Prohibition Act, the Suppression of Immoral Traffic Act, the Anti-Atrocities Act—all these Acts are very good Acts. But why in spite of SITA, prostitution is going on? Why even after making the Dowry Prohibition Act stricter and stricter, still brideburning is going on? Why is it so? It cannot be implemented because she is absolutely dependent. Women are dependent, ignorant, backward and naturally most superstitious. So, whatever

[Shrimati Kanak Mukherjee]

laws we make, they don't help. The divorce laws are there. Suppose a woman has two, three, four children and she wants divorce, what can she do? She is helpless. You can say, she has got equal rights on divorce.

Everything in life, the relation between man and woman, the relation between father and son, the relation between mother and son, everything is money oriented, in relation to money. Whom do we call a good bridegroom? A man who earns well. Does not matter if it is black money. The first criterion is, he must earn well. Otherwise, you do not give your daughter to him because he will not maintain her.

So, about women we discuss and discuss. What can be their right about divorce, after divorce, before divorce? But all these things we do not have to discuss of the money relation between man and woman does not come in between. There is commercialisation of marriage. Everything has been commercialised. Who is supposed to be a good son? He who earns best. So, there is a different criterion of judging humanity here. So, this is the main problem. We have to change the society and change the social conscience and change the norms. That is the main problem. I say that these are the fundamental problems.

That does not mean that we do not have to do anything in the present society. Certainly we have to. But we cannot reach our final goal of real equality between man and women unless we change this class society. That is why we say socialism should be there. It is written in our Constitution also that socialism is our aim. But we are far from that. That is the thing, that is the main thing.

We must go deep into these things. The relation between husband and wife cannot be improved so long as the commercial element is there between them. The money matter is standing between husband and wife. Marriage should be based on free choice and love and respect for each other. But how? Now love and respect is a different thing, a separate thing. The first thing is money, how rich that boy is, from which family the girl comes. Their economic status is the main thing. So, Sir, everything is topsy-turvy.

That is why, I say, certainly we are at an advanced stage from the 18th century, the 19th century, the pre-independence days. I do admit that in law at least we have got this recognition. How long did the British women also struggle to have their franchise, to have their right to vote? How long did it take to achieve our right to vote? And how long have we to struggle through centuries to achieve all these things from the 18th century, the 19th century, from the beginning of the 20th century?

I think, Sir, women have not only equal rights but they have equal duties also. See the history of the independence movement. See the history of 1905, 1919, 1921 and all other big movements, the great independence war, the Sepoy Mutiny. From there you see that women took part in all the struggles, for the independence, for workers and peasants. In all the revolutionary movements they took part.

So, we say, women are not less or more; they are as human beings as men, and that is actually in our Constitution. But in actual reality it is absolutely different. Why? Our unemployment is growing. The literacy percentage is going down. Men and Women are below the poverty line. So long as this disparity widens, equality between men and women also cannot improve.

So seriously really deeply we are thinking about the status of women.

Our Government in 1971 formed the Committee on Status of Women. They did much labour to find out the problems. I also appeared before it as a witness to place our memorandum. The Committee was formed under the chairmanship of Shrimati Phulrenu Guha, M. P. So, there was a Committee on the status of women. It had submitted a good report. All the good recommendations are contained therein, but nothing is being implemented. So, we have to think very deep why all these recommendations all the laws and parts of the Constitution are not being implemented in reality. This is the problem before us. Here the position is contradictory. We have to think how to come forward and change the reality and social conditions to achieve that goal where the women really can have equal rights and equal status.

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने आज इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यद्यपि समाज में महिलाओं के दर्जे में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और पुरूष के मुकाबले में उसके अधिकारो को पुरुष और महिला के बीच समानता के सिद्धांत के अनुरूप मान्यता दे दी गई है तथापि वह अपने अधिकार पूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया है और विभिन्न रूपों में इसका शोषण अभी तक जारी है। इस बारे में जो श्रीमती वीणा वर्मा ने रेजोलूशन लाया है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब औरत पति की बायीं पसली से पैदा किया हुआ जोड़ा है, अर्धांगिनी है, जिंदगी की गाड़ी में लगे दोनों बराबरी के चकों में से एक चका है। औरत जन्म लेने के बाद से आदमी के संरक्षण में ही रहती है। जब वह शैशवावस्था में रहती है तो अपने पिता के संरक्षण में जिंदगी जीती है, फिर युवावस्था में अपने भाइयों के संरक्षण में रहती है, फिर शादी के बाद उसे पति का संरक्षण प्राप्त होता है। और वृद्धावस्था में अपने बेटों के संरक्षण में जिंदगी की अंतिम घड़ियां गुजारती है। हर धर्म में महिला को अपने पति की चल और अचल सम्पत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिये। पति की संपत्ति में कुछ थोड़ा अधिकार उसे पति के मरने के बाद हमारे कानून द्वारा दिया जाता है, लेकिन औरत को क्या अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार पाने के लिये अपने पति की मृत्यु का रास्ता देखना पड़ेगा, जिसे वह अपना परमेश्वर मानती है। मुस्लिम समाज में भी शादी एक समझौता है, लेकिन खुदा का भी फरमान है कि अगर मैं अपने बाद किसी को सजदा करने का हुकुम देता तो बीबी को अपने शौहर को सजदा करने का हुकुम देता। कहने का तात्पर्य है कि हर समाज में शौहर की इज्जत बहुत ज्यादा रखी गयी है औरत अपने सुहाग पर सारी खुशी न्यौछावर करती है। पति के मरने पर उसकी स्थिति उस भंवर में फंसी नाव की तरह हो जाती है, जैसे उसके शौहर, नाखुदा, खेवनहार ने उसकी जिंदगी की नाव को बीच झधार में छोड़ दिया है। उसे साहिल तक पहुंचने के लिये कोई सहारा चाहिये। दुनियां में अगर किसी के पास सम्पत्ति नहीं है तो उसे बाकी उम्र गुजारने के लिये जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वह तो वही महिला जान सकती है, जिस पर विधाता ने विधवा की छाप लगा दी है। इससे एक बात और भी सामने आती है कि अगर महिला को अपने पति की सम्पत्ति में विवाह के बाद ही अधिकार दे दिया जाय तो तलाक जैसी कुरीतियों का अन्त काफी हद तक हो जाएगा।

भविष्य-निधि में भी महिला जो अब पत्नी का रूप ले लेती है, उसे बराबरी का अधिकार पति की अर्धांगिनी कहलाने वाली पत्नी को मिलना चाहिये। इससे एक से अधिक शादी करने का जो फैशन है, वह काफी हद तक समाप्त हो जायेगा। मान लो विधवा होने के बाद किसी महिला के बच्चे नहीं हैं तो उसे किसी को भी अपनी उस संपत्ति को निपटान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि उसकी वृद्धावस्था में जो उसकी सेवा करे उसे ही वो अपनी सम्पत्ति का अधिकारी बना सकती है। मेरा इसमें एक सुझाव यह है कि विधवा स्त्री की सम्पत्ति किसी भी तरीके से सरकारी सम्पत्ति या किसी दूसरे की सम्पत्ति न हो जाय क्योंकि

[कुमारी सईदा खातून]

यह देखा जाता है कि औरत विधवा होने के बाद अगर अपनी सम्पत्ति को किराये पर देती है तो अकसर देखने में आता है कि उसकी सम्पत्ति रेण्ट कन्ट्रोल में या एडवर्स पसेशन के केस में चली जाती है । तो उसकी सम्पत्ति पर कभी भी सरकार या किरायेदार का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

आजकल यह देखने में आता है कि आर्थिक, सामाजिक और विवाह-विच्छेद के मामलों में न्याय शीघ्र नहीं मिलता । न्याय का रास्ता देखते हुये वह महिला अकसर देखने में आता है कि परलोक सिधार जाती है । खुदा की अदालत में अपना इंसाफ पाने के लिये चलीं जाती है । लेकिन इस दुनियां की अदालत में उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता ।

इस पर मुझे एक शेर याद आया है, जिसे मैंने अभी लिखा है :

मरने के बाद मिला इंसाफ तो किस काम का ।

तमाम उम्र गुजारी नाम लेकर भोले राम का ।

मां को ही अपने बच्चों की अभिरक्षा का सम्पूर्ण अधिकार होना चाहिये क्योंकि विवाह-विच्छेद के बाद अधिकतर देखने में आता है कि आदमी तो अकसर दूसरी शादी करके अपने बच्चों की सौतेली मां ले आता है और उन बच्चों को सौतेली मां का संरक्षण बरगद के पेड़ के नीचे मिलने वाले संरक्षण की तरह होता है, जैसे कहावत है कि बड़ का वृक्ष अपने नीचे किसी भी पेड़ को पनपने नहीं देता । इसी तरह से 99 प्रतिशत वे बच्चे जो सौतेली मां के संरक्षण में पलते हैं, उनसे दूजा भाव जरूर किया जाता है ।

काम के समय में पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पत्नी को उसके अन्यथा उपयुक्त होने की स्थिति में, पति के कार्य के बदले में रोजगार जरूर दिया जाना चाहिये क्योंकि उस औरत के सामने अपने बच्चों के पालन-पोषण का भार या अपनी आइंदा जिंदगी गुजारने में आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े । उस विधवा को जिसे उसके पति की जगह न मिली हो, उसके लिये पेंशन का सांविधिक उपबंध किया जाना हमारी सरकार का दायित्व बनता है । यद्यपि, विधवाओं को हमारी सरकार ने बहुत सुरक्षा दी है, लेकिन काफी बातों में देना बाकी है । पहले तो विधवा होना ही अभिशाप अपशकुन कहलाता है । उनको पहले पति के साथ ही जलकर सती होना पड़ता था, उनके बाल मूंड कर उन्हें काल-कोठरी में रूखा-सूखा खाकर अपनी जिंदगी बिताना पड़ती थी । लेकिन हमारी सरकार ने विधवा-स्त्रियों के लिये तमाम कुरीतियों को समाप्त कर उन की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लिया है । उन्हें कम से कम 60/– रुपये आरक्षण स्वरूप दिया जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाय क्योंकि इतने कम पैसों से किसी स्त्री का गुजारा इस मंहगाई के जमाने में होना मुश्किल ही नहीं असम्भव है । विधवाओं को रोजगार दिया जाय । लघु-उद्योग में उनका कोटा निश्चित किया जाय और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सबसिडी दी जाय । उन्हें हर तरीके से प्रोत्साहित करना हमारे समाज कल्याण विभाग का काम है ।

आज ही यह प्रश्न उठा था । इस पर मैं सप्लीमेंटरी क्वैश्चन करना चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला । मैं यह चाहती थी कि दरदर्शन पर विज्ञापनों में विधवा महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले लघु उद्योगों को बहुत कम चार्ज पर दिखाये जाने का प्रावधान रखा जाय और ऐसे लघु उद्योगों के विज्ञापन दिखाये जाने की प्राथमिकता दी जाए ।

महिलाओं के संबंध में जितनी बातें श्रीमती वीणा वर्मा जी लाई है, रेजोलूशन में, उन सब पाइंट्स का मैं समर्थन करती हूं । इसके अलावा मैं उन महिलाओं के बारे में बोलती हूं, जिन्होंने शादी ही नहीं की है, उनके लिये सरकार क्या प्रबंध करती है । ऐसी महिलायें देश में फेमिली-प्लानिंग में भी कोई दखलंदाजी नहीं करती हैं । तो ऐसी महिलाओं के लिये, जिन्होंने शादी नहीं की है, जो स्पिनस्टर है, उनके लिये भी सरकार का ध्यान देना चाहिये ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman Sir, I must congratulate my hon. friend, Shrimati Veena Verma for the Resolution which she has introduced in the House and it is very realistic. I express my gratefulness to her for this Resolution.

It is a fact that in spite of so many constitutional safeguards and in spite of so many laws, the position of women in the country remains the same. They are just like a property. They have got no dignity, no position and nothing else. Of course, some minority women are getting some benefit but that does not mean that everything is all right for the women in this country. In the case of marriage, property, security; service conditions, employment and enrollment of workers, women have not been given proper justice. Previously in the olden day women were killed and they were burnt. Even girls at the time of their birth were killed. But with the advancement of science the girls can be killed in the womb. This is very unfortunate because they never see the light of day. She is killed in the womb. Sir, this is the condition of the women in the society even today. I would just recite a couplete:

जहर पिलाने वाले लोगों कितना जहर है आपके पास,

जितना जहर है पिला दो मन, भारत का दुर्भाग्य औरत अभी तक जिंदा है ।

From the olden days, we extol woman like a goddess. We have got 33 crores of gods and goddesses out of which, 1000 might be goddesses But even today if some Laxmi, some Saraswati, some Veena, some Bijova, some Margaret wants to assert herself, she will be ostracised as a witch and she will be burnt alive and this happens even today. All these social injustices are because of financial handicap, because of economic dependence on man. Woman is financially dependent on either father, or brother or husband and that is why I think she is burnt, she is raped and all sorts of atrocities are perpetrated on her. So the resolution proposed by Shrimati Veena Verma is a sort of safeguard for women in the society. It is true that we stand dependent on past and future will depend on us but for the woman of the country, there is neither past nor future. We have been discussing these points in many fora, in Parliament Sessions. On 16th March, 1988, we have discussed it here. We are discussing it today. But we are arriving at nothing. All these good points, all these resolutions which we are discussing here will be meaningless unless stringent measures are being taken by the authorities concerned. Sir, the hon. Minister, Shrimati Margaret Alva is present. I urge upon her that on the basis of this resolution, she should introduce some stringent. Bill in the next Session to protect women from all the social injustices done to them for ages together. Unless stringent laws are made, women cannot live as human beings. She should introduce such a kind of law which will enable women to live like human beings.

KUMARI SUSHILA TIRIA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the resolution presented before this House by Shrimati Veena Verma In fact, she realises the importance of the matter and has brought forward a resolution. This resolution is very important for the women as a whole Women have been fighting for their rights not only from this century but from ages you may say from the inception of civilisation of mankind and lastly attained some portion of women rights. If we see in the Vedas, in the Ramayana, the Mahabharata and in the Geeta as well as many epics in the world women had reached their goal. Therefore women were recognised and treated as the goddess Ma Kali, Lakshmi, Saraswati, Durga and so on. But the rights of women, if we see the history, have been curtailed after attaining the goal of present civilisation. That is why not only in our country but in the whole world, women are raising their voice for their rights.

[Kumari Sushila Tiria]

It is a fact that women are deprived of justice, are deprived of the principle of equality between man and woman and are exploited by various means. They are recognised as one at the time of marriage. It is prevalent not only in one religion but in all the religious of the world. The Hindu Law and the Hindu Marriage recognises the woman as part and parcel of man and the union of blood to blood, flesh to uesh and heart to heart. But after marriage they are deprived of their equality. Maybe there is an article the Indian Constitution of equality of man and women. After the death of husband, woman is not practically sharing her husband's property. She cannot go out of the door. She is compelled to remain inside the house. That is why the tradition of 'sati' is continued. They are compelled to commit 'sati'.

There is a belief in most of the religions that the creator of mankind is the 'Mother'. She is the symbol of creation not only of human beings but of the entire universe. She is the Supreme Power or Sakti. That is why Mother Goddess Durga is worshipped from time immemorial.

But a woman in the present-day world is not only deprived of property but also of the affection of minor children, in case of divorce. Till majority, children should be under the custody of the mother in case of divorce or judicial separation. The child should be allowed to stay wherever it likes to, either with its father or mother, till it attains majority. Also, in some societies, the practice of a second marriage, even when the first marriage subsists, is prevalent. In these cases too, there should be legislation to prevent the second marriage if the first wife does not permit it.

While I suggest that a better status should be given to women in the society, it should also be ensured that women engaged in cultural activities like cinemas get the same status as their counterparts in other walks of life. As on date, they are often undermined. This situation should change. Unmarried women should be allowed to adopt a son or a daughter irrespective of caste, creed and religion Unmarried women should also get equal shares in father's property if they remain with their parents.

With these few words I support the resolution of Shrimati Veena Verma. I also thank her on my own behalf and on behalf of womenfolk for bringing such a valuable resolution in this House. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This resolution will lapse by the next Session. Today is the last day available in this Session for Private Members' business. If you are interested in the reply of the Minister we can discuss this till 5.15 p.m. Because we sat for this business half an hour late, we can continue this till 5.30 p.m. I do not want to curtail the time of Members of this business is over by 5.30 p.m. then Mr. Buta Singh will make his statement.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वीणा वर्मा जी को धन्यवाद और बधाई तो है लेकिन मुझे एक बात का दुख अवश्य है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यह संसद . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : केवल चार–पांच मिनट लीजिएगा ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह इतना बड़ा है । मैं पुरानी बात दोहराऊंगा तो बंद करवा दीजियेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : चार-पांच और लोग बोलने वाले हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं यहां इसीलिये आया, मैं बोलने वाला नही था, कि यह भाषण, यह प्रस्ताव एकतरफा है । एक तरफा होने से, यह सुनने में कहने में, प्रस्ताव रखने में बड़ा अच्छा लगेगा, वाह-वाही भी होगी लेकिन ऐसा प्रस्ताव, ऐसे प्रवचन समाज में कैसे का र्यान्वित हो

अगर इस पर चिंतन न हो तो फिर इस तरह के प्रस्ताव तो पेश होते ही रहते हैं। हमने दहेज का कानून पास कर दिया और बाप जानता है कि दहेज किस प्रकार से वसूल की जा रही है। तो एक बात मैं पहले यह कहना चाहता हूं। माननीय वर्मा जी को कि आप ऐसे दल में हैं, जिसमें एक बेबस महिला को न्यायालय से मिली हुयी मेन्टेनेंस कानून बनाकर रोक दी गयी। आप विचार करें, वह भी महिला है। लेकिन उसका वोट का पावर इतना ज्यादा है कि महिलाओं के कराह को, क्रंदन के बाद भी संविधान बदल करके उनकी सुविधा भी रोकी गयी। आपके इस प्रवचन को, वैसा दल और वैसी सरकार वाहवाही तो दे देगी, कहेगी कि ठीक है, पर एक मंत्री उठेगा और कहेगा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है। प्रस्ताव वापस ले लें—आप ले लेंगी। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कि मैं आपके किसी अधिकार से अपने को अलग नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा एक विचार है कि अपने यहां--

मातृवत परदारेषु–परद्रव्येषु लोटवत जब किसी एक बड़े महान व्यक्ति से पूछा गया कि महिला के बराबर अधिकार के लिये आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा कि महिला की बराबरी के अधिकार के लिये मुझसे पूछते हो ? मैं महिला को माता के समान मानता हूं, उनको अपने बराबर का नहीं, बल्कि अपने से ऊपर समझता हूं ; जब तक महिलाओं के प्रति यह सद्भाव, जो हमारे समाज में था, अगर वह समाज में यह परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जब तक नहीं की जाती है, तब तक हम अधिकार नाम से जितनी भी चीजें दें, उस अधिकार को लेने की शक्ति महिलाओं को नहीं है। अधिकार का सदुपयोग करने के लिये ताकत भी चाहिये, समाज से ले लेने के लिये भी ताकत चाहिये। कानून बन सकता है, लेकिन कानून का उपयोग नहीं होगा, तो कानून बनने का क्या तात्पर्य होगा ?

क्या यह हम लोगों से छिपी हुयी बात है कि दहेज प्रथा को कड़ाई से कड़ाई रोकने के कानून बने हैं, लेकिन रुक नहीं रही है। उम्मीद थी कि पढ़े-लिखे लोग रोकेंगे, पर पढ़े-लिखे लोगों द्वारा उसकी मांग बढ़ती गई। आई०ए०एस० का तो डाक वाला जाता है, उसकी बोली बोली जाती है। ऐसे ही डाक्टर की, इंजीनियर की, और सर्विस वाले की बोली लगती है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इसका हल कैसे होगा।

हमारे समाज में तो है कि—

यत्र नारी पूजयते,

तत्र रमन्ते देवता।

लेकिन अब यह सिद्धांत वाक्य ही रह गया है। रूढ़िवाद ने इसको तोड़-मरोड़ कर कहां का कहां छोड़ दिया। इसलिये इस पर चिंतन करने की बात हमारी माननीय सदस्या ने कही कि सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। पर सामाजिक परिवर्तन हो कैसे ? महात्मा गांधी जी एक आदमी थे जो रचनात्मक काम करते थे। रचनात्मक कार्य करके ही समाज के अनेक अंगों को हिला कर उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन से हमें आजादी मिली, उस दिन से महात्मा गांधी को भुला दिया और उनके रचनात्मक कार्यों को भी भुलाया यह रचनात्मक कार्य कैसे होगा। संसद में, या सभा, सोसाइटी में भाषण तो दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ा अन्धकारमय दृश्य है शिक्षा का—शिक्षा की स्थिति आप देखें, तो 60 से ऊपर 68 परसेंट तक अशिक्षित जनता है, महिलाओं में तो 80–90 प्रतिशत है और ग्रामीण महिलाओं में तो उससे भी भयंकर अन्धकारमय, भयावह स्थिति है। उनमें भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कृषक लेबरर्ज हैं। वे दोनों पति–पत्नी रात–दिन कर्म करके पेट की भूख को भर पाते हैं। उसको इस विचार को चिंतन करने का कहां अवसर है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह सम्पति के अधिकार, सम्पत्ति में बंटवारे की बात होती है। इस देश में कितने सम्पत्ति वाले हैं ? सम्पत्ति वालों की संख्या बहुत कम है और मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं—मुझे तो कभी-कभी लगता है कि

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

आज वैधव्य जीवन में उनको इस तरह की चिंता कैसे आई ?

मैं इस प्रस्ताव को देख करके, इस संकल्प को देख करके घबराया कि क्या इस देश के सब पिता खराब हैं, सब पति खराब हैं, सब भाई खराब हैं, क्या सब पिता अपनी पुत्री को शिक्षा नहीं देना चाहते, अच्छी से अच्छी जोड़ी नहीं जोड़ना चाहते ? कोई भाई बहन को स्नेह नहीं देना चाहता, अपवाद सिर्फ समाज में है । रूढ़िवाद ने हमारे समाज को तोड़ डाला है । जब तक हम रूढ़िवाद से टकराकर इसको तोड़ नही देते तब तक हम समाज को क्या देन दे सकते हैं? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है मैं अपने को भी मानता हूं उस रूढ़िवाद से लड़ने के लिये आज हम रचनात्मक कार्य का श्रीगणेश नहीं कर पाये और महिलायें जो समाज में काम कर रही है वे शहरों में कर रही हैं, कुछेक जागरूक महिलाओं के साथ कर रही हैं । पाश्चात्य महिलाओं का उदाहरण दिया जाता है । इन्होने चीन, रूस कम्युनिस्ट देशों का उदाहरण दिया । पाश्चात्य महिलाओं की स्थिति हमारी महिलाओं से अच्छी नहीं है । मुझे क्षमा करें । नाइट क्लबों की वहां पर भरमार है । महिलाओं का वहां क्या होता है ? हमारे देश में कम शियल गर्ल्ज नहीं चल सकतो, हमारे देश में काल-गर्ल्ज नहीं चल सकतीं । समाज उसको मान्यता नही दे सकता । लेकिन आज पाश्चात्य जगत में इसकी खुले आम मान्यता है । हमारा कोई मनुष्य इसको मान्यता नहीं दे सकता । वह अपनी मां–बहन को मां–बहन समझता है । छिपे हुये गलत काम करने वाली चीजें हैं, लेकिन उसको भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये । इसीलिये उप सभाध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहना चाहता था, भारतवर्ष को यह सौभाग्य प्राचीन से अर्वाचीन तक प्राप्त है, यहां पर युद्ध ने साथ दिया, शास्त्रार्थ ने साथ दिया, धर्म–पुराण ने साथ दिया, परिवारों ने साथ दिया, आज भी हमारे देश ने दुनिया में पहला राजदूत बनाया, राज्यपाल बनाया, मुख्य मंत्री बनाया, प्रधान मंत्री बनाया । आज इंग्लैण्ड में श्रीमती थैचर पहली बार प्रधान मंत्री बनी हैं । लेकिन मुझे वह बात भी याद है जिस दिन इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में पहली महिलायें जीत कर गयीं तो बड़े-बड़े नेताओं ने पार्लियामेंट में शोर–शराबा किया और उस महिला को यह शब्द कहना पड़ा कि यह शोर करने वाला अगर मेरा पति होता तो मैं चाय में जहर मिला कर उसकी जान ले लेती । यह स्थिति वहां पर है । भले ही उन्होंने भी एक सफल सांसद होने के नाते जवाब दिया कि अब अगर यह प्रेमपूर्वक मुझे जहर भी देदें तो मैं पी लेता । और बाद में दोनों में घनिष्टता भी देखी । रूस का, चीन का उदाहरण दिया, आप अमरीका का उदाहरण दे सकते हैं, आप दूसरे देशों का उदाहरण दे सकते हैं । भले ही हमारी शिक्षा की संख्या कम है, सामाजिक काम करने वालों की संख्या कम है जिसके कारण महिलाएं हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा नहीं आ सकतीं । पार्लियामेंट में हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यहां भी होना चाहिये लेकिन पार्लियामेंट का जो चुनाव है जिस गति से आज चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलायें ही नहीं साधारण बुद्धिजीवी प्राणी को भी आज चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है । सिर्फ संरक्षण-संरक्षण की बात अगर फिर कही जाये तो फिर वही बात आयेगी पति का संरक्षण, भाई का संरक्षण, पिता का संरक्षण, संविधान का संरक्षण और मैं समझता हूं कि आपने भी जो यहां पर रखा है वह भी कानून का संरक्षण ही है । अधिकार को जिस तरह से मांगने की परिपाटी होनी चाहिये वह प्रकट नही हुआ है । मैं तो समझता हूं और देखता भी हूं और अपनी भी करता हूं कमाकर आने वाला पति वेतन में से पाकेट खर्चा रखकर बाकी तनख्वाह अपनी पत्नी के हाथ में देता है । देवनन्दिनी काम करने वाले को भी देखना चाहिये वह जो भी पैसा कमाकर आये वह उसे अपनी पत्नी को सुपुर्द करता है कि लो अब तुम घर की व्यवस्था करो । दहेज पर बहस हो रही थी । कहा गया कि महिलाओं को अधिक समय देना चाहिये महिलायें उससे पीड़ित हैं । लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि दहेज से महिलायें नहीं पुरुष पीड़ित हैं जिसको दहेज जुटाना पड़ता है । इसलिये मैं कहता हूं कि मैंने अनेक लड़कियों की स्वयं शादी करके देखा है । पत्नी ने खर्च किया है उसको आनन्द खर्च करने में था । कमाने वाली कितनी पत्नियां हैं ? बहुत कम हैं । कमाने वाली महिलाओं की

संख्या शहरों में देखी जा सकती है। देहात में जो कमाने वाली महिलायें है वे पुरुष के साथ कमाती हैं। बराबर अधिकार से कमाती है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी, सभापति जी, जो इसमें नजर के भेद से भेद प्रकट करती है। अब महिलाओं के दो पुनीत कर्तव्य हैं, जिसको दुनियां में कोई चुनौती दे नहीं सकता और वह है प्रजनन और पालन। प्रजनन का अधिकार समान अधिकारों में कैसे बंटेगा। पालन का अधिकार भी चाहे बच्चे के पालन का हो, या पति के पालन का। तो यह दो पुनीत बहुत बड़े कर्तव्य उनके साथ जुड़े हुये हैं और इन कर्तव्यों के जुड़े होने के कारण उनकी कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती हैं। अनेक जिम्मेदारियों के कारण उनको अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, जो पुरुष को नहीं सहनी पड़तीं। यह पीड़ाएं कभी-कभी जान भी ले लेती हैं। इसका बंटवारा हम कैसे करें? इसलिये समाज ने उनको कहा तुमको माता के समान तुम्हारे चरण को प्रणाम करें, तुम्हारी इस कठिनाई का समाधान करते हैं, हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं वीणा जी की सब बातों से सहमत होते हुये इस बात को कहना चाहता था कि अगर इस बात को साफ न किया जाय तो ऐसा लगता है कि पति सबका सब इस संसद के कटघरे में खड़ा है। हो सकता है इसमें हम में से कुछ अपवाद होंगे, जिनका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ या महिला के साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अधिकांश का व्यवहार खासकर के पार्लियामेंट में आने वाला जो सदस्य है, चाहे सदस्य हो या सदस्या हो, वह अपने एक पार्ट को घर का सारा अधिकार सौंप कर आता है कि हम यहां हैं तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है खेती की भी, राजनीति की भी, समाज की भी, दूसरी भी।

यहां पर कुछ कानून-कानून की बात कही है। अब कानून का विवेचन हमारे पशुपति नाथ जी ने किया है। मैं उस कानून के विवेचन में नहीं जाना चाहता, इसलिये कि कानून से आप वर्मा जी का सब अधिकार दे दीजिये। हमारी मंत्री जी उठें, कहें कि हम इसको कानून के रूप में दे देते हैं। लेकिन इस कानून के रूप को मान्यता कैसे मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : कागजी कानून है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कागजी कानून होगा ही। अब बंगाल में साम्यवादी शासन चलाया, एक टर्म में दो टर्मस। बंगाल की महिलाओं की क्या स्थिति है? बंगाल में महिलायें अगर अपना धार्मिक विवेचन करके अपने कष्टों का निवारण नहीं करती तो उसका निराकरण क्या है। क्यों नहीं समाज महिलाओं को या उच्चवर्गीय महिलाओं को विधवा-विवाह का अधिकार देता। क्यों समाज ने अभी तक कुछ नहीं किया? राजा राम मोहन राय से लेकर आज तक प्रयास हुये। आप जाकर देखिये, विधवाओं को वृन्दावन में, जाकर देखिये हरिद्वार के क्षेत्र में, वहां डोमीनेशन बंगाल की महिलाओं का है और उसमें अधिकांश विधवायें है।

समाज परिवर्तन के लिये, मुझे क्षमा करेंगे साम्यवादी बन्धु, महात्मा गांधी के बाद मैं नहीं पा रहा हूं, अपने को भी नहीं पा रहा हूं, दूसरे को क्या दोष दूं, इस समाज का परिवर्तन करके हम मां-बहनों को वह प्रतिष्ठा दिला दें, जो प्रतिष्ठा हमारे मनीषियों ने दी थी। उस प्रतिष्ठा को कैसे हम दिला सकते हैं। समाज के चिंतन के साथ-साथ सामाजिक रचना में भी इस बात को लेना होगा। जब तक सामाजिक रचना में इस बात को हम नहीं लेते हैं, तब तक समाज का हम कल्याण नहीं कर सकते।

महोदय, बस मैं खतम कर रहा हूं। इनके जो समूचे सार हैं, वह दो ही अर्थ रखते हैं, दो शब्द उस पर कहना जरूरी समझता हूं, एक तो पति के साथ इनका पूरा अधिकार होना चाहिये। अब मैं समझता हूं कि जिस हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी मायने आधे अंग का अधिकार ही नहीं बल्कि सर्वोच्च चीज का अधिकार है। यह समाज व्यवस्थित है, इसका विवेचन जरा फिर से होना चाहिये, जो कभी हुआ होगा, आज नहीं हो रहा है। आज इस कानून ने उसको उस अर्थ में लाया है। मैं इसलिये कह रहा था, हमारे चतुरानन मिश्र

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

जी, पशुपति नाथ जी से मैंने कहा इन्हीं ब्राह्मण देवता ने हमारे समाज के विधि-विधान की रचना की है, क्या आप आज इस विधि विधान की रचना में परिवर्तन करना चाहते हैं ? तो इसकी रचना कैसे होगी ? उसके बाद सिर्फ इस वक्तव्य से नहीं, आपको संस्कार से भी उस बात को करना पड़ेगा । तब जाकर यह होगा । दूसरा सवाल है, विधवा का । माननीय सदस्या श्रीमती वीणा वर्मा जी ने विधवा को कई शब्दों से आभूषित किया है जैसे कुलटा आदि, मुझे इससे दुख होता है । यह जो सारे आभूषण दिये जाते हैं, वह पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है । यह जो कुलटा और दूसरे शब्दों से अलंकृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है वह महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है । इतना ही नहीं जो दाह का स्वरूप प्रकट किया गया है वह दाह कराने वाली, दहेज मांगने वाली अधिकतर महिलायें–मातायें ही हैं जिनको कि सास कहते हैं । आज जो बेटी है वह कल बहू बनती है और परसों जाकर सास बनती है । सास बनने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है, क्यों ऐसा परिवर्तन आता है इस पर घोर चिंतन करने की आवश्यकता है ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamilu Nadu): Sir, when will the Home Minister make the statement?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): At 5.30 p.m. because we had to keep two and a half hours for Private Members' business.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): When can we ask the clarifications?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Today itself.

SHRI V. GOPALSAMY: What about the short Duration Discussion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) It will be taken up thereafter.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं माननीय सदस्या श्रीमती वीणा वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जहां अधिकार की बात है निश्चितपूर्वक मेरा पूरा मत है कि पत्नी को पति के साथ, पति के बाद उनकी संपत्ति में, ख्याति में, यश में––सब पर उनका अधिकार होना ही चाहिये । इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं और मैं तो चाहता हूं सचमुच में कि जो महिलायें घर चलाती है तो आर्थिक अधिकार होना ही चाहिये । उसे खर्च करने का अधिकार हो और खर्च करने में वास्तविकता में उनका अधिक प्रतिशत हाथ है भी । लेकिन जिस ढंग से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी कहानी अनन्त है और उस पीड़ा को जो उन्होंने प्रकट किया है वह सही है चाहे वह बलात्कार के रूप में हो, जलाने के रूप में हो या दहेज पर बलिदान होने के रूप में हो । आज समाज इतना भीषण और क्रूर हो गया है कि आज के आधुनिक युग में पेट में लड़का है या लड़की यह भी पता लगाया जाता है ताकि अगर लड़की हो तो उसकी भ्रूण हत्या की जाए । तो आज पढ़ने-लिखने के बाद भी आज का समाज कितना वि त वन चुका है, क्रूर बन चुका है, गिर चुका है यह बड़े शर्म की बात है । इसलिए यह तो शिक्षा का ही एक अंग होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के मन में मां, बहनों और अंत में जाकर पत्नी के प्रति किस प्रकार सम्मान और आदर का भाव पैदा हो, इस बात की उन्हें शिक्षा दी जा सके । महोदय, हमको पश्चिम ने क्या दिया ? यही कि सब चीज को भोगो । उसने यह नही कहा कि क्या-क्या भोगना है और क्या-क्या नहीं भोगना है । उसने मर्यादा नही बताई । उसने यह नहीं कहा कि 'मातृवत परदारेषु ।" उस समाज मे हम चरित्र नहीं लेते, नेशनलिटी नहीं लेते, विकृति लेते हैं । भौतिक सुख और अधिकार ले रहे हैं । इसलिए जब हम हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो भारतीय समाज में हिंदू समाज आता है और हिंदू समाज का आधार धार्मिक है, । इसलिए उसमे भी उसका समावेश नहीं होगा कि धर्म कहे कि महिलाओं का भी वही अधिकार हो जो पुरुषों का है । अगर पुरुष यज्ञ, श्राद्ध और विवाह करा सकता है तो

महिलाएं क्यों नहीं करा सकती ? अगर समान अधिकार की बात हम करते हैं तो वित्तीय अधिकार, धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकार हैं । उस अधिकार में भी जब तक हम महिलाओं को पूरा अधिकार नही देते हैं तब तक हम उसे बराबरी का अधिकार कभी नहीं दे सकेंगे । इसलिये मै उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी इन बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सभी पति बेईमान नहीं हैं । सभी पिता खराब नहीं हैं और सभी भाई खराब नहीं हैं । लेकिन अपवाद जरूर हैं और अपवाद इसलिये कि हमारा देश हजारों वर्ष गुलाम रहा । उस गुलामी ने हमारे समाज की भित्ति तोड़ दी और रूढ़ीवादी भित्ति हमारे यहां घुसती चली गयी । आज आजादी को 40 वर्ष हो गये हैं लेकिन इस रूढ़ीवादिता को तोड़ने के लिये हमने कोई कदम नहीं उठाया । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां पर वे कानून की बात करें वहां सामाजिक परिवर्तन की बात शिक्षा के द्वारा, रचनात्मक कार्य के द्वारा करने की बात भी करें । संयोग से आप महिला हैं और विचारवान भी हैं । आप चिंतन भी कर सकती है । इसलिये इस पर इस ढंग से चिंतन करें कि यह जो आर्तनाद है कि पुलिस भी चाहे तो दुराचार कर ले, यह समाज में जब तक परिवर्तन नहीं आयेगा, समाप्त नहीं होगा । तो वीणा जी के आर्तनाद के रूप में जो यह प्रस्ताव आया है वह सचमुच में हृदयग्राही है, पीड़ा देने वाला है । हमको चाहिए कि हम इस से कुछ सीख सकें और समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि उनका यह प्रस्ताव हम लोगों के लिये फलदायी होगा और पीड़ित महिलाओं के लिये लाभदायी होगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now Minister will intervene.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): My name was there, I wanted to speak and....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Do you want to speak? I didn't say no.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I wanted to speak and go. I asked you and...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You cannot talk like that. You are not listening to me. I said after the Minister intervenes, you can speak if time is left.

SHRIMATI MARGARET ALVA: This is not a reply; only intervention.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Anyway, I am obliged to you for not allowing me to speak. And I am going away.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If you want to go, you can go; I do not mind.

SHRI SAT PAUL MITTAL (Punjab): I think he does not want to speak; that is why he is going.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I said if time is left the Minister's inteventon, I will give him chance to speak.

Yes, the Minister please.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I have listened very attentively to Veenaji and other Members. I would like to make a few observations from the side of the Department of Women and Child Development. We have always been for women's rights, for equal opportunity to women. If there is any Constitution in the world which has really guaranteed equality to women in letter and spirit it is the Indian Constitution. But I would like to say that after the Constitution came into existence, we have had so many legislations in favour of women and yet, as we have been repeatedly saying in this House, it is not just the laws which change the status of women. It is a certain response from the society and also from the women for being able to get the benefits which these laws have been able to bring to them. I would like to say that even today we are faced with the fact

[Shrimati Margaret Alva]

that women are not aware of the existing legislations and the rights which they enjoy whether under the Hindu Succession Act or many other laws which exist today for them. I suppose it is the tradition of our cultural upbringing that women prefer not to go to the court and enforce the rights which they really have because they would rather not fight their father, or brothers or husband or the family for survival. Then; there is the problem of supportive mechanism. Most of them either do not have the money or the support which is needed in order to enforce their rights. Because of this it has not been possible for most of the women to enjoy the rights which they already have. I would also like to ask, what is the percentge of our population which really owns property and would be involved in this debate as to whom it should go, how much should go and how much should be divided? As the earlier speaker said, the basic question is that of survival and of being able to earn so that the family can live on its own rather than the question of inheritance of property and many other things like that.

Because I am only intervening, I would not like to go into the various provisions of the Acts. There is the Hindu Code Act, the Hindu Succession Act, and so on. Married or unmarried Hindu women have been given right to inherit, to avail of or dispose of property, to acquire and get their own property. I am not going into the details of these provisions incorporated in various legislations. I would only like to mention one or two points with regard to the question raised in this Resolution about straightway giving equal right to inheritance. I do realise the problem. Women today has an equal right at par with the sons and daughters and the other heirs. But if you were to say that only the wife will inherit that property, then what would happen to the sons and daughters? They would also have to be given protection. They should also have the right in the property of their own father. This fact we cannot ignore. It could be a second marriage. What would happen to the children of the first wife? They would then be totally left out. So, there are certain problems. It is within the context of a family relationship that this inheritance takes place and we cannot look at it purely as a commercial proposition like dividing property or money saying that you take this and he takes this and the matter is over.

There are certain other issues which do come up. One of the points is the question of the provident fund. As you already know, there are women who are also working. If you say that the wife must have a right in the provident fund of a husband, then it would also mean that husband would have equal right over the provident fund which stands in the name of their wives. The provision of nomination is already there. You can nominate any body who would inherit the provident fund if you were to die before you get the provident fund to yourself. The nomination clause is there. This does take care of the problem as to whom it should go to and how it should go. If a provision is made that the wife must get the husband's provident fund, then there would be a similar provision that it should also be the other way round.

Various suggestions have come to us from time to time. For instance, matrimonial property has been talked about in many seminars. There have been discussions on the point that all property acquired by the family after the marriage should be considered to be the joint property of both husband and wife because even if the wife is not earning, she contributes through her household work through all the work that she performs towards acquiring of that estate or property. So, she should have a right, whether at the time of divorce or death, after the marriage of the two people. We have found even this not easy to calculate and work out as to when and how it should go, but we are all committed to the security of a married woman. Whether on divorce or on the death of a husband she must be provided with some employment. I think the existing laws are quite capable of looking after a lot of these problems. Where amendments are needed and even where new legislations have been found necessary, the Government has been most responsive and has always been prepared to accommodate the

points of view and to see how we can go ahead to help them.

I must mention here that there are personal laws. Commitments which have been made in the Constitution should be kept. Change is only possible when every one of us is prepared to come forward and say, well, we are prepared for something new in society. This is a slow process and this is a process which we cannot overrule or ignore because we are a secular State in which we have to carry all sections along as committed in the Constitution.

On the question of pensions which has been raised, Sir, I would like to say that there is already a provision for family pension in the Central and State Governments and public sector undertakings. Most of our State Governments and Union Territories' administrations do have provisions for pension for widows. We do realise that perhaps they are not quite sufficient, that there is no DA added to these pensions, as in the case of salaries and other things, but there is an upward revision being made by States. I think this is perhaps something which could be looked at by the State Governments, but the provisions for widows' pension already exist.

The other point that has been made is that of the custody of children. I do know that there have been repeated requests because as the laws now stand, the mother is generally given custody only upto the age of five in the case of minor children. Again, there are personal laws which come in, but most often the courts do look upon the interest of the child. The judgements which we have from the courts are that the interests of the child should be supreme. Normally, of course, it is the responsibility of both the parents in the family to look after the children, but only when differences prop up, or there is divorce. that the child becomes a pawn. This, most often, has been decided by the courts not so much according to the law as in accordance with the interest of the child. This, of course, at times does create problems for the mother because she has to go through legal processes of the courts and appeals and most often she does not have the money to fight and it does happen that by the court decides, the child is probably no longer a minor but has grown up enough to be able to look after itself. But these are some of the problems of delays and other procedural matters. But the courts have always been extremely careful in ensuring that the child is protected in these disputes.

Finally, a point has been made about jobs for women where the husband dies in harness. I think many public sector undertakings and even other companies do have a convention that in case of a husband's death in harness, either the child or the wife of the deceased who is either qualified or capable of working, would be accommodated by them. I do not say that it is a hard and fast rule, but there is a provision to accommodate one of the members of the family to help it. This perhaps, with a little more awareness and a little more pressure, can become more applicable as we go along.

As I said in the beginning we are committed to doing whatever is necessary to improve the status of woman, to improve her lot, to give her a better chance and to enable her to stand on her own feet, but as I said in the beginning, laws by themselves are not enough. Just bringing in property rights and other rights is not going to solve the problem. We have spoken about the problem in Bengal. After property rights were given to women, what happened to the widows? It did not solve their problems; it created other kinds of problems. I am not saying that the Government is not for property rights for women. We are saying that what exists itself needs to be implemented in a much more meaningful way, and if this can be done I think most of the problems that women face would be sorted out.

I would request Veenaji to consider my request and withdraw the Resolution because, as we go along wherever and whenever Government can come with legislation or amendments or other provisions, I can assure the House that we would be open and prepared to bow and to go along with what we consider to be in the interest of the cause of our women. Thank you.

श्री धर्मचन्द प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वीना वर्मा जी का प्रस्ताव जो सदन के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका समर्थन करता हूं । इस प्रकार का जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है मैं कहता हूं कि पास होना चाहिये । इससे समाज ने महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं उनको हटाने में समर्थ हो सकेंगे । यह महिलाओं की जो दुर्दशा है, यह मध्य युग में आरम्भ हुई । यदि वैदिक युग को देखें तो हम देखेंगे कि उस समय महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। बहुत कम लोगों को पता है कि ऋग्वेद में भगवान को माता कहा गया है । यह बात आपको अन्य कहीं नही मिलेगी जहां पर भगवान को माता के रूप में देखा गया हो । आगे विवाह पद्धति में, यजुर्वेद में, सप्तपदी की पद्धति चली । उसमें पति अपनी पत्नी से कहता है यह तुम्हारा घर है, तुम इस पर राज करो, सास पर राज करो, अपने ससुर पर राज करो, पति पर राज करो । सातवें फेरे में वह पत्नी को सखा के रूप में सम्बोधित करता है, फ्रेन्ड के रूप में सम्बोधित करता है । एक जापानी महिला जो मेरे साथ काम कर रही थी उसको मैंने सप्तपदी के बारे में बताया तो वह कहने लगी कि कितना अच्छा होता, मेरा विवाह भी इसी पद्धति से होता । लेकिन मध्य युग में महिलाओं पर प्रतिबन्ध लगा, पर्दा शुरू हुआ । हिन्दुओं में राजपूतों में पर्दे की प्रथा है । मुसलमानों में पर्दे की प्रथा है । इस मौके पर मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है—

अकबर गया बाजार में, बेपर्दा नजर आई चन्द बीवियां, पूछा उनसे आपका पर्दा कहां गया है, कहने लगी अक्ल पर मर्दों के पड़ गया । पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है । वहां पर 60 प्रतिशत पर्दा हट गया है । 40 प्रतिशत रह गया है । श्री जिया-उल-हक की पत्नी और लड़की पर्दा नहीं करते हैं । आज स्थिति यह है कि महिलाएं पर्दा हटाने के लिए स्वयं आन्दोलन कर रही हैं । जब परसनल ला की बात आती है तो मुझे याद आती है कि जम्मू में एक मुस्लिम कांफ्रेंस हुई थी। यह कांफ्रेंस महिलाओं की थी । वहां पर कुछ पत्रकारों को भी बुलाया गया । बहुत जोरदार भाषण हुये और यह मांग की गई कि परसनल ला को हटाया जाये । हमने न्यूज भी भेज दी । चार-पांच घंटे के बाद आदमी आया कि इस न्यूज को कंट्राडिक्ट करो । उन्होंने यह रिजोल्यूशन वापस ले लिया है, यह कहा गया । हमने कहा कि हमारे पास साइन किया हुआ रिजोल्यूशन है, अब वापस कैसे हो सकता है ? दूसरे दिन न्यूज छप गई । वे कहने लगे कि जो रिजोल्यूशन हमने पास किया था वह वापस ले लिया है । हमने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया ? कहने लगे कि यह मेन डोमिनेटिड समाज है । उनके सामने हमें झुकना पड़ता है । दूसरे दिन वह रिजोल्यशन बिल्कुल चेन्ज हो गया ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्त्रियों के ऊपर जो प्रतिबन्ध है उसमें स्त्रियो का भी कम हाथ नही है सास अपनी बहू पर जुल्म करती है, ससुर नहीं करता है । हमने यह देखा है कि समाज में स्त्रियों पर स्त्रियां ही जुल्म करती हैं । इस बुराई को दूर करना होगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत कुछ आपके प्रस्ताव में लिखा हुआ है, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है । इसको आप वापस न लेकर, पास कर दें । इससे समाज में स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा मिल जाएगा । आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं में क्रांति आ रही है । मैं यह भी कहना चाहूंगा हूं कि प्राचीन समय में हमारे देश में बहुत बड़े विद्वान आदि शंकराचार्य हुये । उनसे बड़ा विद्वान आज तक कोई नहीं पैदा हुआ । 1200 वर्षों से आज तक उनके बराबर विद्वान नहीं पैदा हुआ है । उन्होंने भी एक महिला माडवी से हार मान ली थी । उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी । हमारे वैदिक काल में महिलाएं ऋषि की श्रेणी में आती थीं । वे पुस्तकों की आथर्स थीं । लोपमुद्रा जो कि स्त्री थी ऋग्वेद के रचने वालों में एक थीं । परन्तु मध्य युग में आकर यह कहा गया कि महिलाएं वेद का उच्चारण नहीं कर सकती हैं ।

यह पुरुषों का महिलाओं पर अत्याचार है । मेरी अपनी बहन हैं वे वेद पढ़ाती हैं । डा. वेद कुमारी बड़ा अच्छा पढ़ा रही हैं । आज के युग में हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ संभव हो सकता है करना चाहिये । यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहां अब सर्विसेज में महिलायें बड़ी संख्या में आ रही हैं । कल श्रीनगर में वूमेन कान्फ्रेंस हुई थी इंडस्ट्रियल इन्टरप्रोनर्स की । उसमें उन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम महिलाओं को इंडस्ट्री के फील्ड में आगे जाने के लिए उचित अवसर देने हेतु अपना पूरा योगदान दे ताकि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें । धन्यवाद ।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: I would like to congratulate Veena Verma Ji for having brought this Resolution in the House. It really pertains to a social change in the society. The society is undergoing a very fast change. Knowing full well that the society is changing very fast, when the Constitution was framed an Article was introduced in the Fundamental Rights Chapter. That is Article 15, Clause (3). There it is specially stated: "The State can enact any legislation required for the upliftment of the women and children." Therefore, there is ample scope to remove all these difficulties by bringing about these legislations on the Statute Book, if the State required to do so. So many efforts have been made, but we have found that by one way or other they have been defeated. Therefore, I would submit that unless this defeating process of useful legislations is prohibited or stopped somewhere, it is impossible to bring into practice all these necessary matters which Shrimati Veena Verma has highlighted. Point nos. 1, 2, 3 and 4 mentioned in the Resolution are all connected with Article 15, sub-clause (3) of the Constitution and points nos 4, 5, 6, 7; 8; 9 and 10 have been replied to by the Minister. Therefore, what I would like to say is that this whimsical behaviour of the male is the cause for apprehension. No doubt provisions have been made in various legislations, but there is this apprehension. Since she has brought this Resolution before the House, we should encourage it. That is my submission.

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी और सम्माननीय सदस्यों की आभारी हूं । उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर काफी विचार किया है और इस पर काफी संशय भी आये हैं और जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा और इस पर एश्योरेंस दिया कि सरकार इस संबंध में काम कर रही है और इस बारे में कानून भी कम नहीं हैं और स्वयं सरकार स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके उत्थान की तरफ खासतौर से ध्यान दे रही है और इस आशा के साथ कि सरकार इस दिशा में और तेजी से कदम बढ़ायेगी, इस ओर ध्यान देगी, मैं अपना यह संकल्प वापस लेती हूं ।

**The Resolution was, by leave, withdrawn.*

STATEMENT BY MINISTER

"BANDH" on 15th March, 1988

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to inform the House about the factual position with regards to Bandh on 15th March. The call for Bandh was given jointly by some political parties to be observed on 15th March, 1988. This call also coincided with the call for 3 day strike given by some Unions in Central Public Section Undertakings from 14th of March. I am happy to inform the House that in spite of the call given by these parties, life generally in the country was normal on that day except for the States of West Bengal, Kerala and to some extent in Andhra Pradesh and Karnataka. Impact would have been negligible had the call for strike by the Central Public Sector Undertakings not been given.

---

*For the text of the Resolution, vide cols. suprs. 310-11